प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: SPMU/NUHM/Guideline/2020-21/47/ 2681-75 दिनांक: 16 .08.2021

विषयः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्ष 2021–22 हेतु शहरी आशा योजना के सम्बन्ध मे दिशा–निर्देश।

महोदया/महोदय,

आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चिन्हित शहरों/कस्बों में शहरी आशाओं का चयन एवं प्रशिक्षण किया जा रहा है। इन आशाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की भाँति शहरों/कस्बों विशेषकर मलिन बस्तियों में रहने वाली जनता को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किये जाने में विशेष सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

इस वर्ष जनपद स्तर पर आंवटित धनराशि मदवार उपलब्ध करायी जा रही है अतः सम्बन्धित मद में धनराशि की उपलब्धता के आधार पर ही धनराशि व्यय की जा सकेगी। शहरी आशा कार्यक्रम को सुचारू एवं प्रभावी रूप से चलाने हेतु शहरी आशा योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों हेतु दिशा–निर्देश निम्नानुसार प्रेषित किये जा रहे हैं–

1. शहरी आशा की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

आशा, समुदाय को स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कराने में सहायता प्रदान करने के साथ ही शहरी आबादी के वंचित वर्गो विशेषतयः महिलाओं एवं बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी प्रदान करेगी तथा समुदाय एवं स्वास्थ्य कर्मियो के मध्य सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त शहरी आशा निम्नलिखित कार्य संपादित करेगी–

- गर्भावस्था के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव तैयारी, सुरक्षित प्रसव का महत्व, स्तनपान, सम्पूरक आहार, टीकाकरण के सम्बन्ध में महिलाओं को परामर्श प्रदान करना।
- गर्भवती महिला अथवा बच्चे को उपचार की आवश्यकता पड़ने पर एक पूर्व निर्धारित नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र जैसे – नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्रथम संदर्भन इकाई पर साथ लेकर जाना अथवा संदर्भन के लिए प्रबन्ध करना।
- सरकार द्वारा शहरी स्वास्थ्य इकाईयों पर उपलब्ध करायी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराना एवं प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना।
- सरकार द्वारा प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सामग्री जैसे– ओ0आर0एस0, आयरन की गोलियों, क्लोरोक्विन, डी.डी. किट, गर्भनिरोधक गोलियों तथा कण्डोम, आकस्मिक गर्भनिरोधक गोली आदि के लिए डिपो होल्डर के रूप में कार्य करना।
- प्रजनन तंत्र/यौन जनित संक्रमण के सम्बन्ध में समुचित जानकारी प्रदान करना।
- आशा द्वारा ए.एन.एम. के साथ मिलकर अपने कार्यक्षेत्र में महिला आरोग्य समितियों के गठन एवं विकास में सहयोग करना एवं महिला आरोग्य समितियों के सहयोग से स्वास्थ्य योजना तैयार करना।
- महिला आरोग्य समिति की मासिक बैठक आयोजित कराना।
- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंर्तगत घरों में शौचालय निर्माण के लिए जागरूकता उत्पन्न करना।
- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं के सम्बन्ध में समुदाय को जानकारी प्रदान करना तथा जागरूकता उत्पन्न करना।
- अपने कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित घरों में जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण कराने हेतु परिवार को प्रेरित करना, नगरीय क्षेत्र के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण इकाईयों को सूचित करना तथा समुदाय में फैलने वाले अन्य रोगों की सूचना नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उपलब्ध कराना।
- विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों में दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्य संपादित करना।

- पुनरक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत डॉट्स प्रदाता के रूप में कार्य करना।
- अन्धता निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत मोतियाबिन्द से ग्रसित व्यक्तियों को चिन्हित करना तथा चिकित्सालय/कैम्प में संदर्भित करना।
- सामान्य रोगों, यथा–दस्त, बुखार, हल्की चोटों के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर आवश्कतानुसार संदर्भित करना।
- अल्पसेवित, असेवित, स्वास्थ्य सुविधाओं का उपभोग न कर पाने में सक्षम परिवारों पर विशेष ध्यान देना।
- उपरोक्त के अतिरिक्त शहरी आशा के सम्बन्ध मे केन्द्र अथवा राज्य स्तर से निर्धारित अन्य कार्यो का संपादन करना।
- शहरी स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका को अद्युनांत करना।
- प्रशिक्षण पश्चात (6–7 मॉड्यूल प्रथम चरण के पश्चात) गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (HBNC) कार्यक्रम में आशा द्वारा जन्म से 42 दिन तक नवजात शिशु एवं माँ की 6 से 7 बार गृह भ्रमण के दौरान देखभाल करना।

2. **<u>शहरी आशा प्रतिपूर्ति राशि</u>**

शहरी आशा द्वारा किये जा रहे कार्यो के आधार पर विभिन्न अनुमोदित गतिविधियों में प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाना है। प्रतिपूर्ति राशियों का ससमय भुगतान किये जाने से आशाओं के उत्साह, मनोबल एवं कार्य क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी, जिससे वह अपने कार्यों को और सक्रिय रूप से कर पाने में सक्षम हो पायेंगी तथा समुदाय को गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। इन गतिविधियों को योजनाबद्व तरीके से कार्यान्वित किये जाने एवं अभिलेखीकरण हेतु शहरी आशाओं को शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसमें शहरी आशा अपने क्षेत्र में किये जाने वाले सभी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारियों एवं सेवाओं का उल्लेख करती है। जिसकी सहायता से शहरी आशा के कार्य के सत्यापन में मदद मिलती है एवं शहरी आशा को समय से प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाता है।

FMR Code U.3.1.1.1 Incentive for routine activity- भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में शहरी आशाओं को उनके द्वारा किये जाने वाले नियमित गतिविधियों के लिए प्रतिपूर्ति राशि के रूप में FMR Code U.3.1.1.1 में रू0 2000/– प्रतिमाह दिये जाने का प्राविधान किया गया है। इन गतिविधियों का विवरण एवं गतिविधियों के लिए दी जाने वाली धनराशि निम्न तालिका में दी गयी है–

एफ.एम.आर. कोड	क्र.सं.	गतिविधियाँ	प्रतिपूर्ति राशि (रू0 में)
FMR Code U.3.1.1.1	1	शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने एवं उपस्थित रहने पर	200
	2	महिला आरोग्य समिति की बैठक का आयोजन, प्रतिभाग एवं अभिलेखीकरण करने पर	150
	3	शहरी आशाओं को सी.एच.सी./पी.एच.सी. पर मासिक बैठक में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय।	150
	4	वर्ष के आरम्भ में एवं 6 माह के पश्चात परिवारों की सूची तैयार करने पर तथा मासिक रूप से अद्यतन करने पर	300
	5	शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर का अद्यतन करने व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण हेतु सहायता करने पर	300
	6	टीकाकरण हेतु बच्चों का ड्यू लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	300
	7	ANC लाभार्थियों का लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	300
	8	योग्य दम्पत्तियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	300
नियमित गतिविधियों के लिए कुल प्रतिपूर्ति राशि			2000

***उपरोक्त गतिविधियों में से जब तक महिला आरोग्य समिति का गठन नहीं किया जाता है, तब तक उक्त मद में अधिकतम धनराशि कुल रू0 1850/– प्रतिमाह ही अनुमन्य होगी।**

- **शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने एवं उपस्थित रहने पर–** शहरी आशा द्वारा शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के एक दिन पूर्व समस्त लाभार्थियों को शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में प्रतिभाग किये जाने हेतु सूचित करेगी। शहरी आशा को अपने क्षेत्र में आयोजित शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने, स्वयं उपस्थित रहने हेतु रू0 200/– प्रतिमाह प्रावधानित किया गया है।
- **महिला आरोग्य समिति की बैठक का आयोजन, प्रतिभाग एवं अभिलेखीकरण करने पर –** शहरी आशा द्वारा प्रतिमाह अपनें क्षेत्र मे गठित महिला आरोग्य समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा एवं सदस्य सचिव के रूप में समस्त कार्यविधि को भी अभिलेखीकृत किया जायेगा। महिला आरोग्य समिति के सम्बंध में परिवार कल्याण महानिदेशालय के पत्र संख्या प0क0–13/सं0नि0न0/म0आ0स0/128/2018–19/2966–75 लखनऊ दिनांक 26 सितम्बर 2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं। उक्त बैठक के अंतर्गत आने वाली समस्त शहरी आशाओं को बैठक में सहयोग व प्रतिभाग करने पर रू0 150/– दिया जायेगा।
- **शहरी आशाओं को नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मासिक बैठक में भाग लेने हेतु–** शहरी आशाओं की मासिक बैठकों का आयोजन नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर किया जाता है। इस बैठक में प्रतिभाग करने पर आशाओं को प्रतिमाह रू0 150/– प्रतिपूर्ति राशि के रूप में प्रदान किये जायेंगे।
- **कार्य क्षेत्र में सर्वे को अद्यतन करना –** उक्त मद के अंर्तगत शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर के सम्बन्धित भाग में प्रत्येक माह सर्वे अद्यतन करना होगा। कार्यक्षेत्र में यदि नये परिवार जुड़े हैं अथवा वर्तमान परिवारों में जन्म/मृत्यु/विवाह हुआ हो तो इनका मासिक आधार पर अंकन किया जाना होगा। इस कार्य हेतु शहरी आशा को रू0 300/– प्रति माह प्रोत्साहन धनराशि का प्राविधान किया गया है। आशा द्वारा प्रत्येक 6 माह में अपने कार्यक्षेत्र के समस्त परिवारों का क्षेत्र भ्रमण करके रजिस्टर के सम्बन्धित भाग में वार्ड सर्वे तालिका में सूचनाएं अंकित/अद्यतन की जानी होंगी।
- **शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर को अद्यतन करने व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण हेतु सहायता करने पर–** शहरी आशा को अपने सूचकांक रजिस्टर को मासिक आधार पर अद्यतन रखना होगा तथा अपने कार्यक्षेत्र में समस्त जन्मों एवं मृत्युओं के पंजीकरण में सहयोग प्रदान करना होगा। इस कार्य हेतु आशा को रू0 300/– प्रति माह प्रतिपूर्ति राशि का प्राविधान किया गया है।
- **टीकाकरण हेतु ड्यू लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर–** रजिस्टर में सम्बन्धित भाग में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं हेतु अपेक्षित लाभार्थियों (टीकाकरण हेतु बच्चों, गर्भवती महिलाओं) की सूची तैयार की जानी है। इस हेतु शहरी आशाओं को प्रतिमाह रू0 300/– प्रतिपूर्ति राशि का प्राविधान किया गया है। शहरी आशाओं द्वारा सही एवं पूर्ण रूप से ड्यू लिस्ट बनाने पर ड्राप आउट एवं लेफ्ट आउट बच्चों, गर्भवती महिलाओं के चिन्हीकरण में मदद मिलेगी जिससे उनको समय–समय पर सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। ड्यू लिस्ट बनातें समय अल्पसेवित परिवारों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **ANC लाभार्थियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर–** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। शहरी आशाओं से अपेक्षा की जाती है कि सभी गर्भवती महिलाओं की जल्द से जल्द पहचान कर पंजीकरण तथा न्यूनतम 3 प्रसव पूर्व जाँचें करायेगी एवं संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित करेंगी जिससे क्षेत्र की मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लायी जा सके। रजिस्टर के सम्बन्धित भाग में गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव सेवा एवं टीकाकरण सम्बन्धी विवरणों को अंकित किया जाना है। इस हेतु शहरी आशाओं को प्रतिमाह रू0 300/– प्रोत्साहन धनराशि का प्राविधान किया गया है। शहरी आशाओं द्वारा सभी गर्भवती महिलाओं की प्रसव योजना तैयार की जानी है। इसके अंतर्गत शहरी आशा द्वारा गर्भवती महिलाओं से संपर्क कर उनका पंजीकरण कराना, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रसव स्थान का

चिन्हीकरण, परिवहन की व्यवस्था, प्रसव के समय सहयोग करने वाले परिवार के सदस्यों का चिन्हीकरण का विवरण शहरी स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका के सम्बन्धित भाग में अंकित किया जाना है।

- **योग्य दम्पत्तियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर**– शहरी आशा, अपने शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर के सम्बन्धित भाग में जो परिवार नियोजन के लिए योग्य दम्पत्तियों के विवरण से सम्बन्धित है, क्षेत्र के रहने वाले समस्त योग्य दम्पत्तियों की सूची बनाकर अद्यतन करेगी। इस कार्य हेतु रू0 300/– प्रतिमाह का प्राविधान किया गया है।

नोट– यदि किसी कारण से आशा उपरोक्त वर्णित गतिविधियों में से किसी एक या अधिक गतिविधि को पूर्ण नहीं कर पाती तो शेष गतिविधियों में शहरी आशा को भुगतान किया जायेगा। उदाहरण– यदि किसी कारणवश शहरी आशा अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाली शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस मे प्रतिभाग नहीं करती है एवं शहरी आशा द्वारा अन्य गतिविधियो मे प्रतिभाग किया गया हैं तो उस दशा में शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस मे प्रतिभाग नही करने हेतु अनुमोदित राशि रू0 200/– का भुगतान नहीं किया जायेगा।

- उपरोक्त के अतिरिक्त एन.यू.एच.एम. अनुभाग द्वारा आशाओ को निम्न मदो की भी प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जा रही है–

क0स0	गतिविधियां	प्रतिपूर्ति राशि रू0 (प्रति आशा/माह)
1	हेल्थ प्रमोशन डे	200/–
2	प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना	100/–

- **FMR Code U.3.1.1.3 Other Incentive to ASHA हेल्थ प्रमोशन डे**– वित्तीय वर्ष 2021–22 में शहरी क्षेत्र की स्लम क्षेत्रों में कार्य करने वाली आशाओं के साथ–साथ अन्य सभी आशाओं हेतु भी हेल्थ प्रमोशन दिवस आयोजन के लिए प्रतिपूर्ति राशि के संबंध में अनुमोदन प्राप्त हुआ है। हेल्थ प्रमोशन दिवस आयोजन हेतु पत्रांक संख्या प0क0–13 /सं0नि0न0 /श0आ0–दिशा–निर्देश /52 /2020–21 /931–75 दिनांक 26 जून 2020 के माध्यम से दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं।
- **FMR Code U.3.1.1.3 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना**–
  - ➢ आशा द्वारा गर्भवती महिला का पंजीकरण कराने के साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का फार्म भरा जायेगा जिसके साथ गर्भवती महिला का MCP कार्ड/आधार कार्ड/बैंक पासबुक/पोस्ट आफिस पास बुक की छाया प्रति फार्म के साथ ANM को उपलब्ध करायेगी। इसके पश्चात् प्रति केस **रू0 50** दियें जानें का प्रावधान है।
  - ➢ आशा द्वारा गर्भवती महिला का प्रपत्र 1 सी भरकर ए0एन0एम0 के पास जमा किया जायेगा। आशा का भुगतान लाभार्थी को तृतीय किस्त के भुगतान के साथ ही किया जायेगा। इसके पश्चात् प्रति केस रू0 50 दियें जाने का प्रावधान है।
- आशा द्वारा अन्य कार्यक्रमो के अन्तर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों यथा जननी सुरक्षा योजना, नियमित टीकाकरण, गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल कार्यक्रम, पल्स पोलियो, परिवार कल्याण, राष्ट्रीय कार्यक्रमों, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि में भी आशा हेतु कार्य के आधार पर प्रतिपूर्ति राशियों का प्रावधान किया गया है। जिसमे मुख्यतः निम्नानुसार है–

क्र. सं.	कार्यक्रम	गतिविधियाँ	प्रतिपूर्ति राशि(रू0 में)
1	मातृ स्वास्थ्य	पूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल (पूर्ण ANC जॉच, तथा MCP कार्ड पर MCTS नम्बर अंकन) के पश्चात सरकारी चिकित्सा इकाई में संस्थागत प्रसव कराने पर।	400
2		पूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल (पूर्ण ANC जॉच, तथा MCP कार्ड पर MCTS नम्बर अंकन) के बिना सरकारी चिकित्सा इकाई में संस्थागत प्रसव कराने पर।	200
3		अति जोखिम गर्भवती महिला का उच्चस्तरीय केन्द्र पर परीक्षण, भर्ती और संस्थागत प्रसव करानें के साथ MCTS/ RCH पोर्टल पर Entry करानें पर (प्रति केस)	300
4	बाल स्वास्थ्य	गर्भवती व धात्री महिलाओ की मासिक बैठक करने के उपरान्त त्रैमासिक आधार पर दी जाने वाली धनराशि (MAA)	100
5		गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (HBNC) के अंतर्गत आशा को 24 घंटे के	150

क्र. सं.	कार्यक्रम	गतिविधियाँ	प्रतिपूर्ति राशि(रू0 में)
		भीतर प्रथम भ्रमण, 3 और 7 दिन के भ्रमण करने पर प्रति लाभार्थी हेतु	
6		गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (HBNC) के अंतर्गत, आशा को शेष भ्रमण करने पर प्रति लाभार्थी हेतु	100
7		AMB कार्यक्रम मे आशा द्वारा 6 माह से 59 माह तक के बच्चों को 50 M.L बॉटल auto dispenser के आयरन सीरप का वितरण हेतु प्रति माह	50
8		SAM बच्चों को NRC में सन्दर्भन करनें पर (प्रति बच्चा)	50
9		SAM बच्चों को NRC से छुटटी होनें के पश्चात 4 फॉलोंअप करनें पर (प्रति बच्चा)	100
10	परिवार कल्याण	महिला नसबन्दी (मात्र 18 गैर मिशन परिवार विकास जनपदो मे)	200
11		पुरूष नसबन्दी (मात्र 18 गैर मिशन परिवार विकास जनपदो मे)	300
12		प्रसव पश्चात महिला नसबन्दी (मात्र 18 गैर मिशन परिवार विकास जनपदो मे)	300
13		दो बच्चों के पश्चात् स्थाई गर्भनिरोधक साधन हेतु प्रेरित करने पर	1000
14		शादी के पश्चात 2 साल तक प्रथम बच्चे हेतु अन्तराल रखने हेतु प्रेरित करने पर	500
15		प्रथम बच्चे से द्वितीय बच्चे के मध्य 3 साल का अन्तराल रखने हेतु प्रेरित करने पर	500
16		लाभार्थी को PPIUCD लगवाने हेतु स्वास्थ्य इकाई पर ले जाने/सहयोग करने पर	150
17		लाभार्थी को PAIUCD लगवाने हेतु स्वास्थ्य इकाई पर ले जाने/सहयोग करने पर	150
18		महिला को चिकित्सालय तक ले जाकर मे सर्जिकल विधि से गर्भपात सेवाओं के उपरान्त फॉलोअप करना तथा समस्त सेवायें दिलाना (प्रति केस)	150
19		महिला को चिकित्सालय तक ले जाकर मेडिकल विधि से गर्भपात सेवाओं के उपरान्त फॉलोअप करना तथा समस्त सेवायें दिलाना (प्रति केस)	225
20		लाभार्थी को शगुन किट वितरण करनें के सम्बन्ध में प्रति किट	100
21	मिशन परिवार विकास जनपद	पुरूष नसबन्दी मात्र 57 जिलों में	400
22		अन्तराल एवं गर्भपात के उपरान्त (महिला नसबन्दी) मात्र 57 जिलों में	300
23		प्रसव पश्चात महिला नसबन्दी मात्र 57 जिलों में	400
25		लाभार्थी को स्वास्थ्य इकाई पर ले जानें एवं त्रैमासिक गर्भनिरोधक इन्जेक्शन (अन्तरा) लगवानें पर मात्र 57 जिलों में	100
26	टीकाकरण	0–1 वर्ष के बच्चों का पूर्ण प्रतिरक्षण हेतु (प्रति बच्चा)	100
27		1–2 वर्ष के बच्चों का सम्पूर्ण प्रतिरक्षण हेतु (प्रति बच्चा)	75
28		5–6 वर्ष की आयु तक (डी.पी.टी.बूस्टर–2) प्रतिरक्षण हेतु (प्रति बच्चा)	50
29		टीकाकरण के लिए बच्चों को प्रेरित करनें हेंतु (प्रति सत्र)	150
30		पोलियों कार्यक्रम में मोबलाइज करनें हेतु (प्रतिदिन)	100
31	राष्ट्रीय कार्यक्रम	ट्रीटमेंट सर्पोटर (डाट्स प्रोवाइडर) (नये रोगी 6–7 माह का कोर्स)	1000
32		रोगी प्रतिरोधी (MDR-TB) रोगियों का इलाज और सहयोग प्रदान करने वाले समुदाय डॉट प्रदाता के लिए प्रोत्साहन राशि (9–11 माह का कोर्स)	5000
33		किसी भी संदिग्ध क्षय रोगी को निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रथम संदर्भन के उपरान्त यदि क्षय रोग से ग्रसित पाया जाता है प्रति केस	500
34		रक्त पट्टिका बनाना (प्रति स्लाइड)	15
35		पी0एफ0 पॉजिटिव या पी0वी0 पॉजिटिव आने एवं पूर्ण उपचार करानें पर (प्रति केस)	75
36		कुष्ठ रोग(पी0बी0) की पहचान एवं पंजीकरण (प्रति केस)	250
37		पूर्ण उपचार के उपरान्त (प्रति केस)	400
38		कुष्ठ रोग(एम0बी0) की पहचान एवं पंजीकरण (प्रति केस)	250
39		पूर्ण उपचार के उपरान्त (प्रति केस)	600
40		कुष्ठ रोगी के साथ deformity के नये रोगी की पहचान(प्रति केस)	200
41		कुष्ठ रोग के संवेदीकरण में आशाओं की सहभागिता हेतु	100
42		ए0इ0एस0/जे0इ0केस का नजदीकी सामु0 स्वा0 केन्द्र/जिला अस्पताल, मेडिकल कालेज में सन्दर्भन करने के उपरान्त यदि केस धनात्मक पाया जाता है तो उसे प्रति केस दी जायेगी। मात्र 20 जनपदों मे।	300
43		कालाजार हेतु (IRS) 2 राउन्ड में छिड़काव (प्रति राउन्ड रू0 100)	200
44		कालाजार रोगी का सन्दर्भन एवं उपचार किये जानें के उपरान्त 500 की धनराशि दिये जाना (प्रति केस) मात्र 11जनपदों मे	500
45		घर–घर भ्रमण कर मच्छरो की घरेलू प्रजनन जांच व एवं स्रोत कटौती मे मदद	200

क्र. सं.	कार्यक्रम	गतिविधियाँ	प्रतिपूर्ति राशि(रू0 में)
		करने हेतु रू0 200/– प्रतिमाह (कुल 5 माह हेतु)	
46		डेंगू एवं चिकुनगुनिया के मरीजों को नजदीकी सामु0 स्वा0 केन्द्र/जिला अस्पताल, मेडिकल कालेज में सन्दर्भन करने के उपरान्त यदि केस धनात्मक पाया जाता है तो उसे प्रति केस रू0 200/–प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।	200
47		50 घरों के नमक परीक्षण हेतु (मात्र 24 जनपदों)	25

उपरोक्त प्रतिपूर्ति राशिओं के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश सम्बन्धित अनुभाग द्वारा प्रेषित किये जा रहें है।

2.1 मातृ स्वास्थ्य

- जननी सुरक्षा योजना के अर्न्तगत आशाओं को दी जानें वाली कुल धनराशि रू0 400 का प्रावधान है– अर्थात यदि आशा किसी गर्भवती महिला का पूर्ण ANC जाँच कराकर संस्थागत प्रसव कराती है तो उस आशा को कुल धनराशि रू0 400 दी जायेगी, परन्तु यदि आशा किसी **कारणवश** किसी गर्भवती महिला का **ANC जाँच कराने के पश्चात संस्थागत प्रसव नहीं कराती है तो उस अवस्था में आशा को कोई धनराशि प्राप्त नहीं होगी। इसके अतिरिक्त यदि आशा** किसी गर्भवती महिला का पूर्ण **ANC जाँच नहीं कराती है और केवल संस्थागत प्रसव ही कराती है तो उसे मात्र रू0 200 प्रति लाभार्थी की धनराशि प्राप्त होगी।**
- आशाओं द्वारा अपने कार्यक्षेत्र की अति जोखिम गर्भवती महिला का उच्च स्तरीय केन्द्र पर परीक्षण, भर्ती और संस्थागत प्रसव कराने के साथ MCTS/ RCH पोर्टल पर Entry कराने पर प्रति केस रू0 300 का प्रावधान है।

2.2 बाल स्वास्थ्य

2.2.1 आशा अपने क्षेत्र की समस्त गर्भवती एवं धात्री महिलाओ की सूची बनायेगी। एक सामान्य मोहल्ले/स्लम मे 40–50 योग्य माताये उपलब्ध रहेंगी। एक आदर्श मातृ बैठक मे 5–8 माताए होगीं एवं माह मे 03 बैठक अनिवार्य हैं। इन 03 महीनो मे आशा को प्रत्येक गर्भवती एवं धात्री महिला तक पहुचना अनिवार्य है। यदि आशा माह मे 03 या अधिक बैठक कराती है तो आशा को **त्रैमासिक आधार पर रु0 100/– का प्रावधान किया गया है।**

2.2.2 **गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (HBNC)– गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल** के नवीनतम दिशा–निर्देशों के अनुसार संस्थागत प्रसव की दशा में 6–7 मॉड्यूल में प्रशिक्षित आशाओं द्वारा लाभार्थी को स्वास्थ्य केन्द्र से डिस्चार्ज होने अर्थात् संस्था से वापस लौटने के 24 घंटे के भीतर नवजात का प्रथम गृह भ्रमण किया जाना है एवं अन्य भ्रमण यथावत् ही रहेंगें (3, 7, 14, 21, 28, 42वें दिन)। इसी प्रकार गृह प्रसव की दशा में आशा का भ्रमण 24 घंटे के भीतर, 3रें, 7वें, 14वें, 21वें, 28वें एवं 42वें दिन किया जाये। बीमार नवजात शिशुओं एवं कम वजन के बच्चों का आशा द्वारा सिक न्यू बार्न केयर यूनिट (SNCU)/न्यू बार्न स्टेबिलाईजिंग यूनिट (NBSU) से छुटटी होने के 24 घंटे के भीतर नवजात का गृह भ्रमण किया जाना है एवं छुटटी होने से 07 दिन तक आशा द्वारा बीमार नवजात शिशुओं का प्रतिदिन गृह भ्रमण किया जाना चाहिए।

6–7 मॉड्यूल में प्रशिक्षित आशाओं द्वारा गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (HBNC) के अंतर्गत आशा को प्रथम भाग में रू0 150, 24 घंटे के भीतर, 3 और 7 दिन के भ्रमण करने पर और द्वितीय भाग में रू0 100 प्रोत्साहन राशि शेष भ्रमण (14वें, 21वें, 28वें एवं 42वें दिन) को पूरा करने पर प्रदान की जायेगी। विस्तृत दिशा–निर्देश बाल स्वास्थ्य अनुभाग द्वारा प्रेषित किये गये हैं।

2.2.3 **AMB** (एनीमिया मुक्त भारत)– कार्यक्रम मे आशा द्वारा 6 माह से 59 माह तक के बच्चों को 50 M.L बॉटल auto dispenser के आयरन सीरप का वितरण सुनिश्चित कर यू0एच0एन0डी0 सत्र पर मोबलाइज करने हेतु रू0 50/– प्रति माह की दर से आशा को प्रतिपूर्ति राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

2.2.4 **SAM बच्चों को NRC में सन्दर्भन एवं भर्ती** – आशाओं द्वारा अपने क्षेत्र के SAM बच्चों को NRC में सन्दर्भन एवं भर्ती किया जाना है, जिसका रजिस्ट्रेशन NRC में किया जायेगा। NRC द्वारा प्रत्येक माह आशा द्वारा सन्दर्भन एवं भर्ती करायी गयी सूचना संकलित कर जिला पुरुष

चिकित्सालय में जमा किया जायेगा। जिसके उपरान्त आशाओं को भुगतान किया जायेगा। जिसके लिए **रू0 50** प्रति बच्चा दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

2.2.5 **SAM बच्चों को NRC से छुट्टी होने के पश्चात 15–15 दिनों के अन्तर पर 4 फॉलोअप–** आशाओं द्वारा SAM बच्चों को NRC से छुट्टी होने के पश्चात 15–15 दिनों के अन्तर पर 4 फॉलोअप करना और प्रत्येक फॉलोअप करनें पर वह सूचना NRC की रजिस्टर पर लिखी जायेगी। जिसके उपरान्त NRC में आशाओं द्वारा किये गये कार्यो की संकलित सूचना आशाओं के एकाउन्ट विवरण के साथ जिला पुरूष चिकित्सालय में NRC द्वारा जमा किया करेंगें। उसके बाद आशाओं का भुगतान किया जायेगा। जिसके लिए **रू0 100** प्रति बच्चा दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

2.3 परिवार कल्याण–

2.3.1 आशाओं द्वारा महिलाओं को नसबन्दी कराने के लिए प्रेरित करने पर प्रति केस रू0 200/– दियें जानें का प्रावधान है।

2.3.2 आशाओं द्वारा पुरूषों को नसबन्दी कराने के लिए प्रेरित करने पर प्रति केस रू0 300/– दियें जानें का प्रावधान है।

2.3.3 प्रसव पश्चात महिला नसबन्दी हेतु के लिए प्रेरित करने पर प्रति केस रू0 300/– दियें जानें का प्रावधान है।

2.3.4 आशाओं को दो बच्चों तक परिवार सीमित रखने वाले पात्र दम्पत्तियों को स्थाई विधियों (महिला/पुरूष नसबंदी) का परामर्श प्रदान कर मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय या सरकारी चिकित्सालय पर चयन सुनिश्चित करने के लिए रू0 1000/– दियें जानें का प्रावधान किया गया है।

2.3.5 आशाओं द्वारा नवविवाहित दम्पत्तियों को विवाह के उपरान्त दो वर्षो तक प्रथम बच्चे हेतु अन्तराल रखने के लिए प्रेरित करने पर प्रति केस रू0 500/– दियें जानें का प्रावधान किया गया है।

2.3.6 आशाओं द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में जिस दम्पत्ति के एक बच्चा है, उसके प्रथम बच्चे से द्वितीय बच्चे के मध्य 3 साल का अन्तराल रखने हेतु प्रेरित करने पर प्रति केस रू0 500/– दियें जानें का प्रावधान किया गया है।

2.3.7 आशाओं द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में लाभार्थी को PPIUCD लगवाने के लिए प्रेरित करने हेतु सरकारी स्वास्थ्य इकाई पर ले जाने और सहयोग करने पर प्रति केस रू0 150/– दियें जानें का प्रावधान किया गया है।

2.3.8 आशाओं द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में लाभार्थी को PAIUCD लगवाने के लिए प्रेरित करने हेतु सरकारी स्वास्थ्य इकाई पर ले जाने और सहयोग करने पर प्रति केस रू0 150/– दियें जानें का प्रावधान किया गया है। यह प्रोत्साहन राशि उसी अवस्था में देय होगी यदि गर्भ समापन ऑपरेशन अथवा स्वतः हुआ हो या चिकित्सकीय पद्धति से हुआ है तो यह प्रोत्साहन राशि आशाओं को दिया जायेगा।

2.3.9 आशाओं द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में महिला को चिकित्सालय तक ले जाकर सर्जिकल विधि से सरकारी चिकित्सालय में गर्भपात सेवायें दिलानें के लिए प्रेरित करने हेतु प्रति केस रू0 150/– का प्राविधान किया गया है।

2.3.10 सुरक्षित गर्भपात सेवायें प्रदान करने हेतु मेडिकल विधि से गर्भपात किये जाने की स्थिति में आशा को यात्रा भत्ता के रूप में प्रतिपूर्ति राशि दिया जाना है। यह धनराशि आशा को उसी स्थिति में होगी जब लाभार्थी का प्रथम एवं तृतीय दिन का दवाओं का कोर्स दिया जाये। इस स्थिति में आशा को रू0 150 प्रति केस (रू0 75/–प्रथम दिन व रू0 75/–तृतीय दिन) दिया जायेगा तथा शेष रू0 75/– की धनराशि आशा द्वारा पन्द्रहवें दिन पर लाभार्थी द्वारा फॉलोअप विजिट कराने पर दिया जायेगा। इस योजना के तहत आशा द्वारा यदि किसी महिला को मेडिकल विधि से गर्भपात सेवा दिलाने हेतु प्रेरित कर उपरोक्त समस्त सेवायें दिलायी जाती हैं तो आशा को एकमुश्त धनराशि रू0 225/–प्रति केस दिया जायेगा।

- आशा अपने कार्यक्षेत्र के नवविवाहित दम्पत्तियों की सूची बनायेगी। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर से आशायें शगुन किट प्राप्त करेंगी। जिसके बाद लाभार्थी को शगुन किट वितरण करनें हेतु प्रति किट रू0 100/–दियें जानें का प्रावधान है।

उपरोक्त के अतिरिक्त **मिशन परिवार विकास कार्यक्रम** से आच्छादित 57 जनपदों में निम्नानुसार प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जा रही है–

- मिशन परिवार विकास जनपदों में आशाओं द्वारा पुरूषों को नसबन्दी कराने के लिए प्रेरित करने पर प्रति केस रू0 400/– दियें जानें का प्रावधान है।
- मिशन परिवार विकास जनपदों में आशाओं द्वारा महिलाओं को अन्तराल एवं गर्भपात के उपरान्त (महिला नसबन्दी) कराने हेतु प्रेरित करने पर प्रति केस रू0 300/– दियें जानें का प्रावधान है।
- मिशन परिवार विकास जनपदों में आशाओं द्वारा महिलाओं का प्रसव पश्चात् नसबन्दी कराने के लिए प्रेरित करने पर प्रति केस रू0 400/–दियें जानें का प्रावधान है।
- मिशन परिवार विकास जनपदों में आशाओं द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के लाभार्थी को स्वास्थ्य इकाई पर ले जानें एवं त्रैमासिक गर्भनिरोधक इनजेंशन (अन्तरा) लगवानें हेतु प्रति केस रू0 100/– दियें जानें का प्रावधान है।

2.4 **टीकाकरण–**

2.4.1 0–1 वर्ष के बच्चों को सभी निर्धारित वैक्सीन (बी.सी.जी, ओ.पी.वी0,1,2,3, पेन्टावैलन्ट, एफ–आई.पी.वी1,2,एम. आर.1,) लगवानें के लिए आशा को पूर्ण प्रतिरक्षण हेतु प्रति बच्चा रू0 100 का प्रावधान किया गया है।

2.4.2 1–2 वर्ष के बच्चों को सभी निर्धारित वैक्सीन **(डी.पी.टी.–बूस्टर1, ओ.पी.वी– बूस्टर,)** लगवानें के लिए आशा को सम्पूर्ण प्रतिरक्षण हेतु प्रति बच्चा रू0 75 का प्रावधान किया गया है।

2.4.3 5–6 वर्ष की आयु तक सभी निर्धारित वैक्सीन (डी.पी.टी.बूस्टर–2) द्वारा प्रतिरक्षण हेतु प्रति बच्चा रू0 50 का प्रावधान किया गया है।

2.4.4 टीकाकरण के लिए बच्चों को प्रेरित करनें हेंतु (प्रति सत्र) रू0 150 आशाओं को दिये जानें का प्रावधान किया गया है।

2.4.5 आशाओं को पोलियों कार्यक्रम में मोबलाइज करने के लिये प्रतिदिन की दर से रू0 75/– की धनराशि दी जायेगी इसके अतिरिक्त यदि आशाओं द्वारा प्रतिदिन 100 से 150 बच्चों को मोबलाइज करती है तो रू0 75/– के स्थान पर रू0 100/– प्रतिदिन की दर से आशाओं को धनराशि दिये जानें का प्रावधान है, अर्थात् मात्र आशा कार्यकत्रियों को ही रू0 25/– प्रतिदिन की दर से मानदेय अधिक दिया जायेगा।

2.5 **राष्ट्रीय कार्यक्रम–**

2.5.1 आशाओं द्वारा नये क्षय रोगियों का **6–7 माह का कोर्स (कैट–I)** करानें पर, कोर्स पूर्ण और उपचार होनें के पश्चात् रू0 1000/– की धनराशि प्रति केस आशाओं को दियें जानें का प्रावधान है।

2.5.2 आशाओं द्वारा रोगी प्रतिरोधी **(**MDR-TB**)** रोगियों का **2 वर्ष का कोर्स** कराने पर, कोर्स पूर्ण और उपचार (completed course of treatment) होनें के पश्चात् दो चरणो मे 1. इंटेन्सिव फेज (सघन फेज) मे रू0 2000/– और कन्टीन्यूएशन फेज (निरंतर चरण) मे रू0 3000/– अर्थात कुल रू0 5000/– धनराशि प्रति केस आशाओं को दियें जानें का प्रावधान है।

2.5.3 आशाओं द्वारा किसी भी संदिग्ध क्षय रोगी को निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रथम संदर्भन के उपरान्त यदि क्षय रोग से ग्रसित पाया जाता है प्रति केस रू0 500 धनराशि आशाओं को दिये जाने का प्राविधान है।

2.5.4 आशा को रक्त पट्टिका निर्मित करने अथवा आर0डी0टी0 किट के माध्यम से परीक्षित कराकर निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र पर (जहाँ रक्त पट्टिका जॉच की सुविधा उपलब्ध हो) को 24 घटें के अन्दर पहुँचानें पर रू0 15.00 प्रति रक्त पट्टिका की दर से भुगतान कियें जानें का प्रावधान है।

2.5.5 आशाओं द्वारा अपनें कार्यक्षेत्र में मलेरिया के पी0एफ0 व या पी0वी0 केस पॉजिटिव आने एवं पूर्ण उपचार करानें पर रू0 75/– की धनराशि प्रति केस आशाओं को दियें जानें का प्रावधान है।

2.5.6 आशा द्वारा अपनें कार्यक्षेत्र में कुष्ठ रोग के पॉसीबेसीलरी केस की पहचान एवं पंजीकरण करानें पर रू0 250/–की धनराशि प्रति केस आशाओं को दियें जानें का प्रावधान है।

2.5.7 आशा द्वारा अपनें कार्यक्षेत्र में कुष्ठ रोग के पॉसीबेसीलरी केस की पहचान एवं पंजीकरण करानें के साथ ही पूर्ण उपचार के उपरान्त रू0 400/–की धनराशि प्रति केस आशाओं को दियें जानें का प्रावधान है।

2.5.8 आशा द्वारा अपनें कार्यक्षेत्र में कुष्ठ रोग के मल्टीबेसीलरी केस की पहचान एवं पंजीकरण करानें पर रू0 250/–की धनराशि प्रति केस आशाओं को दियें जानें का प्रावधान है।

2.5.9 आशा द्वारा अपनें कार्यक्षेत्र में कुष्ठ रोग के मल्टीबेसीलरी केस की पहचान एवं पंजीकरण करानें के साथ ही पूर्ण उपचार के उपरान्त रू0 600/–की धनराशि प्रति केस आशाओं को दियें जानें का प्रावधान है।

2.5.10 आशाओं द्वारा अपनें कार्यक्षेत्र के ए0इ0एस0/जे0ई0 केस का नजदीकी सामु0स्वा0 केन्द्र/जिला अस्पताल, मेडिकल कालेज में सन्दर्भन करने के उपरान्त यदि केस धनात्मक पाया जाता है तो उसे रू0 300/– की धनराशि प्रति केस दिये जानें का प्रावधान है। जिसे मात्र 20 जनपदो मे किया जा रहा है।

2.5.11 आशाओं द्वारा अपनें कार्यक्षेत्र में होने वालें कालाजार हेतु **(IRS)** 2 राउन्ड में छिड़काव करने हेतु कुल रू0 **200/–** अर्थात् प्रति राउन्ड रू0 100/–दिये जानें का प्रावधान है। जिसे मात्र 11 जनपदो मे किया जा रहा है।

2.5.12 आशाओं द्वारा अपनें कार्यक्षेत्र के कालाजार रोगी का सन्दर्भन एवं उपचार किये जानें के उपरान्त रू0 500/– की धनराशि प्रति केस दिये जानें का प्रावधान है। जिसे मात्र 11 जनपदो मे किया जा रहा है।

2.5.13 आशाओं द्वारा अपनें कार्यक्षेत्र में फाइलेरिया के अधिकतम 3 दिन तक 50 घर या 250 व्यक्तियों को **MDA** की दवा खिलानें पर रू0 200/– की धनराशि प्रतिदिन के अनुसार दिये जानें का प्रावधान है। जिसे मात्र 51 जनपदो मे किया जा रहा है।

2.5.14 आशा द्वारा अपनें कार्यक्षेत्र में 50 घरों के नमक परीक्षण करने हेतु रू0 25/– की धनराशि प्रति केस आशाओं को दियें जानें का प्रावधान है। जिसे मात्र 24 जनपदों में किया जा रहा है।

3. शहरी आशा को प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु दिशा–निर्देश

ग्रामीण क्षेत्रों की भॉति शहरी क्षेत्रों में भी संचालित विभिन्न गतिविधियों जैसे जे0एस0वाई0, बाल स्वास्थ्य, नियमित टीकाकरण, परिवार कल्याण सेवाएं एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम इत्यादि में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत लाभार्थियों एवं आशा को प्रतिपूर्ति धनराशि राशि दी जानी है। अरबन आशा के प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान के सम्बंध में निम्न व्यवस्था की गयी है–

- जिन आशाओं ने 8 दिवसीय प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो उन्हीं आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि देय होगी। शहरी आशाओं द्वारा अपने क्षेत्र में किये गये कार्यो के लिये ही भुगतान किया जायेगा।
- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक बैक खाता खोला गया है। एन0यू0एच0एम0 के अन्तर्गत अरबन आशा को देय समस्त प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एन0यू0एच0एम0 के अन्तर्गत खोले गये बैंक खाता से किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त एन.एच.एम. के अन्तर्गत संचालित अन्य कार्यक्रमो हेतु आशाओं को दी जाने वाली धनराशि के भुगतान हेतु, लक्ष्य का निर्धारण करते हुए धनराशि जनपद स्तर से संबंधित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के खाते मे स्थानान्तरित की जानी है। इस संबंध मे पत्र सं0 SPMU/NUHM/Financial/2018-19/43/7219 दिनांक 05–10–2018 के माध्यम से दिशा निर्देश पूर्व मे प्रेषित किये जा चुके है।

- **नगरीय क्षेत्रों में भी ग्रामीण क्षेत्र की भॉति आशा पेमेंट एप्लीकेशन के माध्यम से आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाना है। इस सम्बन्ध में दिशा–निर्देश पत्र संख्या SPMU/NUHM/MIS/18/ 2142-75 दिनांक 28–07–2021 के माध्यम से प्रेषित किये गये हैं।**

- शहरी आशा द्वारा विगत माह की 16 तारीख से वर्तमान माह की 15 तारीख तक की गयी समस्त गतिविधियों का विवरण आशा पेमेन्ट वाउचर में अंकित कर माह की 18 तारीख तक क्षेत्रीय ए.एन.एम. को उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए, साथ ही ए.एन.एम. का भी यह दायित्व होगा कि माह कि 18 तारीख तक अपने क्षेत्र की समस्त आशाओं से वाउचर एकत्र कर लें।

- ए.एन.एम. द्वारा माह की 20 तारीख तक वाउचर में अंकित गतिविधियों का सत्यापन कर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पास जमा करा दिये जायेंगे। ए.एन.एम. द्वारा अपने क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान शहरी आशा द्वारा किये गये कार्यो का नियमित सत्यापन कर शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर में अंकित कर देना चाहिए, इससे माह के अन्त में वाउचर के सत्यापन में आसानी होगी। यदि ए.एन.एम. अपने सम्बन्धित शहरी आशाओं द्वारा किये गये कार्यो का सत्यापन माह में होने वाली मासिक बैठक से पूर्व ही कर लेती है, तो नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर होने वाली मासिक बैठक में शहरी आशाओं के क्षमता निर्माण हेतु व अन्य विषयों पर चर्चा करने के लिए अधिक समय मिल सकेगा।

- एन0यू0एच0एम0 के अन्तर्गत जनपद में तैनात अर्बन हेल्थ क्वार्डिनेटर/सिटी कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर/डी0ई0ओ0 कम एकाउन्टेंट/डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक माह सभी शहरी आशाओं के वाउचर ससमय प्राप्त कर लिये जाये तथा परीक्षण करते हुये यह सुनिश्चित किया जाय कि वाउचर सही और पूर्ण भरे हों।

- एन0यू0एच0एम0 के अन्तर्गत जनपद में तैनात अर्बन हेल्थ क्वार्डिनेटर/सिटी कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर/डी0ई0ओ0 कम एकाउन्टेंट/डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट द्वारा समस्त सत्यापित वाउचर एप्लीकेशन में फीड किये जायेंगे एवं फीड करने के उपरांत नोडल अधिकारी को भुगतान प्रपत्र 25 तारीख तक डिजिटल माध्यम से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।

- नोडल अधिकारी द्वारा अपने लॉगिन आई0डी0 से उपरोक्तानुसार प्राप्त भुगतान प्रपत्र में अंकित धनराशियों का अनुमोदन किया जायेगा एवं तत्पश्चात डिजिटल माध्यम से 27 तारीख तक डी0ई0ओ0 कम एकाउन्टेंट/डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट के पास एफ0ए0एम0एस/पी0एफ0एम0एस0 द्वारा भुगतान हेतु अग्रसारित कर दिया जायेगा।

- नोडल अधिकारी द्वारा भुगतान प्रपत्र के अनुमोदन के उपरांत डी0ई0ओ0 कम एकाउन्टेंट/डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट द्वारा माह की 30 तारीख तक अनुमोदित धनराशि एफ0ए0एम0एस/पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से आशा के खाते में हस्तांतरित कर दी जायेगी।

- अकाउटेंट कम डी0ई0ओ0/ डी0सी0ए0ए0 द्वारा संकलित वाउचर के आधार application द्वारा जनरेटेड एक्सेल शीट का प्रिंट निकालकर निकालकर प्रभारी चिकित्साधिकारी, डी0सी0ए0ए0 तथा नोडल अधिकारी से हस्ताक्षर कराने के उपरान्त आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर पर अवश्य चिपका दिया जाये।

- अरबन हेल्थ कोआर्डिनेटर द्वारा जनपद मुख्यालय पर भुगतान की सूचना प्रपत्र 3 पर माह की 10 तारीख पर संकलित की जायेगी तथा माह की 12 तारीख तक समस्त भुगतान की संकलित सूचना

प्रपत्र 4 पर राज्य स्तर (राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई/परिवार कल्याण महानिदेशालय) को अवश्य उपलब्ध करा दी जाये (संलग्नक–3 व 4)।

- जिला स्तर पर भी आशा प्रतिपूर्ति भुगतान राशि के विवरण को कम्प्यूटर में सुरक्षित रखा जाये जिसमें नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अनुरूप सम्बन्धित माह में आशाओं को भुगतान की गयी कुल प्रतिपूर्ति राशि का विस्तृत विवरण प्रपत्र–3 के अनुरूप अंकित की जाये।
- शहरी आशाओं को उनके द्वारा प्रस्तुत वाउचर के सापेक्ष उनके खाते में स्थानान्तरित की गयी धनराशि की सूचना प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सूचनापट्ट पर चस्पा करवा दी जाये।
- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर प्रभारी चिकित्साधिकारी मासिक आधार पर अच्छा कार्य कर रही आशाओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे अन्य आशाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। इसके अतिरिक्त उन गतिविधियों/कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी, जिसमें आशा द्वारा अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जायेगी एवं इन कारणों को दूर करने के उपाय किये जायेंगे। आवश्यकता पड़ने पर ऐसी आशाओं के क्षमतावर्द्धन हेतु आशाओं की मासिक बैठक में चर्चा की जानी चाहिए।
- किसी भी परिस्थिति में आशाओं का भुगतान लंबित न रखा जाये। जनपद में आशा भुगतान हेतु जनपदीय अरबन नोडल अधिकारी (NUHM) अरबन हेल्थ कोआर्डिनेटर, डी0सी0ए0ए0, सिटी कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर एवं एकाउन्टेंट कम डी0ई0ओ0 संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। आशा भुगतान की प्रतिमाह जनपद स्तर पर समीक्षा की जाये एवं इसे जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक केएजेण्डा में नियमित रूप से सम्मिलित किया जाये।
- यदि किसी शहरी आशा को भुगतान प्रपत्र भरने में कोई समस्या आती है, तो ऐसी स्थिति में प्रभारी चिकित्साधिकारी/ अरबन हेल्थ कोऑडिनेटर/DCAA/ सिटी कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर/ एकाउन्टेंट कम डी0ई0ओ0 द्वारा प्रपत्र भरने में आशा को मार्गदर्शन दिया जायेगा।
- शहरी आशा भुगतान अभिलेखों को ऑडिट एवं अन्य जाँच हेतु जनपदीय अरबन नोडल अधिकारी/अरबन हेल्थ कोऑडिनेटर/डी0सी0ए0ए0/सिटी कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजिर/ एकाउन्टेंट कम डी0ई0ओ0 द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा ताकि किसी भी समय किसी विभागीय अधिकारी द्वारा इन अभिलेखों का सत्यापन किया जा सके।
- आशा भुगतान के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से अनियमितता की जाती है, तो सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये तथा भुगतान की गयी धनराशि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से वसूल क़र ली जाये।

4. **<u>शहरी आशा को ड्रग किट दिये जाने हेतु दिशा निर्देश</u>**–

प्रदेश की समस्त शहरी आशाओं को आरम्भिक उपचारात्मक देखभाल प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रशिक्षण के अनुसार सामान्य रोग जैसे– दस्त, बुखार आदि के आरम्भिक प्रबन्धन परिवार नियोजन सामग्रियो के वितरण आदि के लिए ड्रग किट दी जानी है।

भारत सरकार द्वारा आशा ड्रग किट दिये जाने के सम्बन्ध में जारी मॉडल दिशा–निर्देशों के क्रम में निम्न औषधियों को शहरी आशाओं को दिये जाने का प्राविधान किया जा रहा है।

- **शहरी आशा की दवा किट में रखी वस्तुओं की सूची**

क्र.स.	दवा/सामग्री	1 माह के लिए अनुमानित आवश्यकता
1	घर पर स्वच्छ प्रसव के लिए डीडीके किट	3
2	पैरासीटामाल टैबलेट	20
3	आयरन फॉलिक एसिड (एल) की गोलियां	400
4	डाइसाइक्लोमाइन टेबलेट	20
5	जिंक टेबलेट	50
6	ओआरएस के पैकेट	10
7	निश्चय किट	3

क्र.स.	दवा / सामग्री	1 माह के लिए अनुमानित आवश्यकता
8	कण्डोम (3 का पैकेट)	30
9	खाने की गर्भनिरोधक गोलियां (चक्रों में)	10
10	आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली	10
11	साबुन	1
12	विसंक्रमित रूई (50 ग्राम)	1
13	पोविडाइन मलहम की ट्यूब	1
14	पट्टियां 4 से.मी. X 4 मीटर	2

उपरोक्त तालिका में वर्णित सामग्रियों एवं उनकी मात्रा में स्थानीय आवश्यकताओं एवं सामग्री की उपलब्धता के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

- **शहरी आशा ड्रग किट का उपयोग करने हेतु निर्देश–** आशा ड्रग किट दिये जाने के समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक आशा के पास हमेशा कम से कम एक माह का दवाओं का स्टॉक उपलब्ध रहे। दवाओं पर चिपके हुए लेबल अंग्रेजी भाषा में होते हैं। अतः प्रयास यह होना चाहिए कि दवायें अलग–अलग रंग की थैलियों में उपलब्ध करायी जायें, जिससे कि शहरी आशाओं को औषधि वितरण में किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो।
- **आशा ड्रग किट की नियमित रिफिलिंग की जायेगी–** पूर्व मे स्वीकृत शहरी आशाओं के ड्रग किट हेतु कोई भी धनराशि अलग से नही उपलब्ध नही करायी जा रही है। प्रारम्भ में दी गयी मात्रा के अनुसार अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत समस्त शहरी आशाओं की संख्या के आधार पर ए.एन.एम. समस्त सामग्री नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के औषधि भण्डार से प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् अपने कार्यक्षेत्र की समस्त आशाओं को उपरोक्त सामग्री वितरित करेंगी।
- **नवीन शहरी हेतु आशा ड्रग किट के लिए वित्तीय दिशा निर्देश–** वित्तीय वर्ष 2020–21 मे स्वीकृत 281 शहरी आशाओ के लिए एफ0एम0आर0 कोड U.6.2.2.1 ASHA Drug Kits के अन्तर्गत रू0 750/– प्रति आशा हेतु अनुमोदित किया गया है। इन 281 नवीन शहरी आशाओ को रु 450/– की दर से बैग व रु0 300/– प्रति आशा की दर से औषधियो हेतु धनराशि निम्नानुसार स्वीकृत की गयी है–

Code & Head as per RoP		U.6.2.2.1 ASHA Drug Kits	
S.No.	District	Target	@ Rs 750/- per ASHA
1	Amroha	3	2250.00
2	Banda	17	12750.00
3	Barabanki	8	6000.00
4	Bareilly	25	18750.00
5	Basti	06	4500.00
6	Bulandsahar	20	15000.00
7	Etah	12	9000.00
8	Etawah	54	40500.00
9	Firozabad	36	27000.00
10	Gonda	23	17250.00
11	Hathras	3	2250.00
12	Kasganj	6	4500.00
13	Kushinagar	1	750.00
14	Mau	32	24000.00
15	Mirzapur	02	1500.00
16	Sant Kabir Nagar	5	3750.00
17	Sitapur	18	13500.00
18	Unnao	10	7500.00
TOTAL		281	210750.00

- **नवीन आशाओ को दिये जाने वाले बैग हेतु मानक–**
  - 18X13 inch with bottom 4 inch
  - Venial fine matty cloth (Black Colour)
  - Three pockets
  - One side nylone bottle holder with elastic.
  - One set hanging holder strip with adjuster.
  - Two handle for holding.
  - Front side logo in two colour.
  - Fine quality 8 number zip with stainless steel adjuster.

उपरोक्त दिये गये मानको के अनुसार समस्त वित्तीय एव ंक्रय नियमो को ध्यान मे रखते हुए जनपद स्तर पर क्रय किये जायेगे।

- **नवीन आशाओ को बैग वितरण हेतु व्यवस्था–**
  क्रय किये गये बैग को जनपद स्तर पर स्टाक बुक मे अंकित किया जाये एवं नवीन चयनित शहरी आशाओ के 8 दिवसीय प्रंरभिक प्रशिक्षण के उपरान्त ही प्रशिक्षित शहरी आशाओ को बैग का वितरण किया जाये
- शहरी आशाओं के मासिक बैठक के दौरान आशायें अपनी शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर में उल्लेखित स्टॉक इन्ट्री के आधार पर सम्बन्धित ए.एन.एम. शहरी आशा को दवा/अन्य सामग्री उपयोग किये जाने की सूचना देगी। जिसे ए.एन.एम. द्वारा निम्न निर्धारित प्रपत्र पर संकलित किया जायेगा।

क्र.स.	दवा/सामग्री	शहरी आशा 1 द्वारा उपयोग की गयी मात्रा	शहरी आशा 2 द्वारा उपयोग की गयी मात्रा	शहरी आशा .... द्वारा उपयोग की गयी मात्रा	शहरी आशा ....द्वारा उपयोग की गयी मात्रा	क्षेत्र की सभी शहरी आशाओं द्वारा उपयोग की गयी कुल मात्रा
1	घर पर स्वच्छ प्रसव के लिए डी.डी.के. किट					
2	पैरासीटामॉल टैबलेट					
3	आयरन फॉलिक एसिड (एल) की गोलियां					
4	डाइसाइक्लोमाइन टेबलेट					
5	जिंक टेबलेट					
6	ओ.आर.एस. के पैकट					
7	निश्चय किट					
8	कण्डोम					
9	खाने की गर्भनिरोधक गोलियां (चक्रों में)					
10	आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली					
11	साबुन					
12	विसंक्रमित रूई (50 ग्राम)					
13	पोविडाइन मलहम की ट्यूब					
14	पट्टियां 4 से.मी. X 4 मीटर					

- ए.एन.एम., प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के औषधि भण्डार से औषधि प्राप्त करेगी, तत्पश्चात् आशाओं को औषधि/अन्य सामग्री उपलब्ध कराएगी। उक्त दवा एवं सामग्री का स्टॉक एवं स्टॉक बुक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के फार्मासिस्ट की निगरानी में रखा जायेगा।

- रिफिलिंग करते समय यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि यदि पहले से ड्रग किट में कोई दवा Expiry Date के निकट हो या Expire हो गयी हो तो उन्हें तत्काल बदल दिया जाय तथा इस बात का ध्यान रखा जाय कि ड्रग किट में दी जाने वाली दवाओं की Expiry Date कम से कम 1 वर्ष बाद की हो। आशा, ड्रग किट का रिकार्ड शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर के सम्बन्धित भाग में अंकित करेगी।

5. शहरी आशा मासिक बैठक

प्रदेश में स्वास्थ्य योजनाओं के गुणवत्तापरक् क्रियान्वयन एवं शहरी आशाओं के नियमित सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के उद्देश्य से नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रतिमाह शहरी आशाओं की मासिक बैठकों का आयोजन किया जाना है। मासिक बैठकों में आशाओं के क्षमता वर्द्धन के साथ–साथ भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त नवीन दिशा–निर्देशों एवं नवीन कार्यक्रमों के बारे में आशाओं को विस्तृत जानकारी प्रदान की जानी है। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा की जायेगी। प्रत्येक बैठक मे सम्बन्धित क्षेत्र की ए. एन.एम. (जिन ए.एन.एम. के क्षेत्र में आशा कार्य कर रही हैं) द्वारा अवश्य प्रतिभाग किया जायेगा।

- **आयोजन स्थल–** शहरी आशा मासिक बैठक हेतु नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आधारभूत सुविधा जैसे बैठने का स्थान, पेय जल की सुविधा, विद्युत सुविधा, क्रियाशील शौचालय आदि की व्यवस्था होना आवश्यक है। बैठक का पर्यवेक्षण एवं संचालन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि किसी आयोजन स्थल में लॉजिस्टिक जैसे दरी, जग, गिलास आदि का अभाव है तो इस हेतु कार्यालय व्यय मद में उपलब्ध धनराशि का प्रयोग किया जा सकता है। बैठक में प्रभारी चिकित्साधिकारी के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर नियुक्त स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, शहरी स्वास्थ्य से सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारी के द्वारा प्रतिभाग किया जाना चाहिए।
- **शहरी आशा मासिक बैठक की माइक्रो प्लानिंग–** मासिक बैठकों का आयोजन प्रत्येक माह की 25 तारीख को किया जाएगा। यदि माह की 25 तारीख को अवकाश अथवा टीकाकरण दिवस है तो अगले कार्यदिवस को बैठक का आयोजन किया जाएगा। प्रभारी चिकित्साधिकारी बैठक की तारीख में परिवर्तन की सूचना समस्त प्रतिभागियों एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों को समय से उपलब्ध कराएंगे। बैठक का समय प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक रखा जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए आशाओं की बैठक समय से पूर्ण कर ली जाये ताकि उनके आवागमन में कठिनाई ना हो। बैठक इस प्रकार प्लान की जाय कि प्रत्येक बैठक में अरबन हेल्थ कोआर्डिनेटर/डी0सी0ए0ए0 /सिटी कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर/डी0ई0ओ0 कम एकाउन्टेंट उपस्थित रहे।

  शहरी आशाओं की अन्य सामूहिक गतिविधियां इस प्रकार से नियोजित की जानी चाहिए जिससे शहरी आशा मासिक बैठक में लक्षित आशाओं का शत प्रतिशत प्रतिभाग किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। उस दिन कोई और गतिविधि न रखी जाये जिसमें आशाओं के प्रतिभाग की आवश्यकता हो। यदि अपरिहार्य कारण से किसी शहरी आशा द्वारा बैठक में प्रतिभाग नहीं किया जाता है, तो ए.एन.एम. संबंधित आशा को बैठक की कार्यवाही से अवश्य अवगत कराये। इस स्थिति में आशा को मासिक बैठक हेतु अनुमोदित प्रतिपूर्ति राशि (रू0 150/–) देय नहीं होगी।
- **बैठक का एजेण्डा–** प्रत्येक माह मासिक बैठक हेतु प्रभारी चिकित्साधिकारी के निर्देशन में एक एजेण्डा तैयार किया जायेगा, जिसमें निम्न बिन्दु को सम्मिलित किया जाय।

क्र.सं.	विषय–वस्तु
1	पंजीकरण एवं स्वागत
2	आशा के कार्यों में आने वाली समस्याओं पर चर्चा व उसका निराकरण
3	अरबन हेल्थ इन्डेक्स रजिस्टर (यू.एच.आई.आर.)/आशा पेमेंट वाउचर/संबंधित प्रारूपों का अवलोकन एवं चर्चा
4	सम्बन्धित माह में आयोजित होने वाले अभियानों, विशेष दिवसों जैसे–विश्व स्तनपान दिवस, मातृ स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व एड्स दिवस आदि पर आशाओं की क्षमता वर्धन, राज्य एवं जनपद स्तर से प्राप्त नवीन दिशा–निर्देशों पर चर्चा।
5	आगामी माह की कार्य योजना पर चर्चा

क्र.सं.	विषय–वस्तु
6	शहरी आशा प्रतिपूर्ति राशि एवं आशा द्वारा किये जा रहे कार्यों के आधार पर अच्छा कार्य करने वाली आशाओं को प्रोत्साहित करना
7	आशा मासिक बैठक के दौरान गत माह आशाओं द्वारा जमा किये गये वाउचरों के सापेक्ष आशाओं के खातों में स्थानान्तरित की गयी धनराशि के संबंध में आशाओं को अवश्य अवगत कराना चाहिए। यदि किसी आशा द्वारा जमा किये गये वाउचर एवं स्थानान्तरित की गयी धनराशि में अन्तर है तो उसका कारण अभ्युक्ति कॉलम में अंकित किया जाना चाहिए

बैठक के प्रारम्भ में समस्त प्रतिभागियों का पंजीकरण अवश्य किया जाना चाहिए। मासिक बैठक के लिये अलग रजिस्टर बनाया जाना चाहिये। आशा के अतिरिक्त अन्य प्रतिभागियों की उपस्थिति दूसरे पेज में अंकित किया जाना चाहिए। रजिस्टर का प्रारूप निम्नवत होगा–

बैठक की तिथि...................... स्थान..

क्र.सं.	शहरी आशा का नाम	कार्यक्षेत्र	मोबाइल नं0	हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1.					

क्र.सं.	प्रतिभागी का नाम	पद	मोबाइल नं0	हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1.					

6- FMR U.3.1.3.1 Supportive Provisions (Uniform/Award etc)

6.1 FMR Code U.3.1.3.1 (Uniform)- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य कार्ययोजना वर्ष 2021–22 में अन्तर्गत शहरी आशा यूनीफार्म हेतु रू0 600/– प्रति आशा की दर से अनुमोदित किया गया है। इस धनराशि का व्यय आशा द्वारा किया जायेगा, जिसके पश्चात उसके द्वारा प्रस्तुत बीजक (बिल) के अनुसार अधिकतम रू0 600/– का भुगतान PFMS के माध्यम से आशा के खाते मे किया जायेगा।

- आशाओं को यूनिफार्म के रूप में एक साड़ी दिये जाने हेतु धनराशि प्रदान की जा रही है। यह साड़ी क्रीम रंग की प्लेन होगी एवं उसमें चॉकलेट रंग का बॉर्डर होगा।
- जिन आशाओं द्वारा सामान्यतः साड़ी के स्थान पर सलवार–कुर्ता पहना जाता है, उनके द्वारा साड़ी के स्थान पर क्रीम रंग का सलवार–कुर्ता एवं चॉकलेट दुपट्टा खरीदा जा सकता है।
- प्रत्येक आशा उपरोक्त रंग के अनुसार साड़ी अथवा सलवार–कुर्ता एवं दुपट्टा स्वयं खरीदेगी।
- आशाओ द्वारा यूनिफार्म खरीदनें के पश्चात सत्यापन ए.एन.एम. द्वारा किया जायेगा।
- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के उददेश्य से CCPM/ DEO cum Accountant/DCAA द्वारा प्रतिमाह होने वाली आशा बैठकों में प्रतिभाग कर आशाओं द्वारा यूनिफार्म हेतु साड़ियों अथवा सलवार–कुर्ता एवं दुपट्टा का क्रय व उपयोग को सुनिश्चित किये जाने हेतु जिम्मेदारी दी गयी है।
- आशाओं की यूनिफार्म हेतु धनराशि लक्षित आशाओं के आधार पर अवमुक्त की जा रही है। वर्तमान में कार्यरत् आशाओं को ही यूनिफार्म हेतु धनराशि प्रदान की जानी है, शेष धनराशि DHS में सुरक्षित रखी जायेगी तथा नवीन शहरी आशाओं के चयन के पश्चात उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार धनराशि आशाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। एक वित्तीय वर्ष में एक आशा को 01 यूनिफार्म हेतु ही धनराशि उपलब्ध करायी जानी है।

6.2 FMR Code U.3.1.3.1 (AWARD)- **आशा अवार्ड**

जनपदो मे प्रति वर्ष आशा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य समुदाय मे आशा की भूमिका को सुदृढ़ करना तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमो एवं नवीन योजनाओ के बारे मे जानकारी दिया जाना है। आशा सम्मेलन के माध्यम से आशाओ को इस बात का भी एहसास होता है कि प्रदेश मे संचालित स्वास्थ्य सेवाओ को दूरस्थ क्षेत्रो व जरूरत मंद लोगो तक पहुंचाने तथा समुदाय को प्रेरित करने मे उनकी भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आशा सम्मेलन मे ग्रामीण क्षेत्र मे कार्य कर रही सर्वश्रेष्ठ आशाओ को सम्मानित भी किया जा रहा है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्य कर रही सर्वश्रेष्ठ आशाओ को सम्मानित करने तथा बेहतर प्रयास करने हेतु, शहरी आशाओ के मध्य एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एफ0एम0आर0 कोड संख्या U 3.1.3.1 Supportive Provisions (Uniform/Award etc) के अंतर्गत पुरस्कार राशि का प्रावधान किया गया है (संलग्नक– ख)। यह पुरूस्कार राशि वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली शहरी आशाओ को आशा सम्मेलन मे प्रदान की जानी है। प्रावधानित धनराशि निम्न विवरणानुसार है–

I. **जनपद जहां स्वीकृत शहरी आशा की संख्या 50 से कम है**– सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली एक आशा हेतु रु 1000/– की धनराशि।

II. **जनपद शहरी आशा की संख्या 50–99 है**– सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली प्रथम व द्वितीय आशा हेतु क्रमशः रु0 2000/– व रु 1000/– की धनराशि।

III. **जनपद स्वीकृत शहरी आशा की संख्या 100–150 है**– सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली प्रथम, द्वितीय व तृतीय आशा हेतु क्रमशः रु0 5000/–, रु0 2000/– व रु 1000/– की धनराशि।

IV. **जनपद जहां स्वीकृत शहरी आशा की संख्या 150 से अधिक है**– कम से कम 150 आशा के प्रत्येक क्लस्टर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली प्रथम, द्वितीय व तृतीय आशा हेतु क्रमशः रु0 5000/–, रु0 2000/– व रु 1000/– की धनराशि। ऐसे जनपद जहां शहरी आशा की संख्या 150 से अधिक है, वहां पुरुस्कार हेतु आशा चयन करने के लिए आशाओ के क्लस्टर का गठन निम्नानुसार किया जायेगा–

क्र0स0	स्लम क्षेत्र हेतु पूर्व स्वीकृत शहरी आशा की संख्या	पुरस्कार हेतु आशाओ के क्लस्टर की सं0 (कम से कम 150 आशा प्रति क्लस्टर)	पुरुस्कृत की जाने वाली आशा की संख्या		
			प्रथम पुरुस्कार (रु0 5000)	द्वितीय पुरुस्कार (रु0 2000)	तृतीय पुरुस्कार (रु0 1000)
1	151–299	1	1	1	1
2	300–449	2	2	2	2
3	450–599	3	3	3	3
4	600–749	4	4	4	4

पुरस्कार हेतु आशा का चयन के मानक

वित्तीय वर्ष 2020–21 में आशाओं द्वारा अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में किये गये कार्यों के आधार पर दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रत्येक क्लस्टर से सर्वश्रेष्ठ आशाओं को पुरस्कार हेतु चयनित किया जायेगा। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदित जनपद/क्लस्टर की सर्वश्रेष्ठ, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त आशाओं की सूची जनपद/क्लस्टर के समस्त नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाय।

पुरुस्कार हेतु आशाओं का चयन नोडल अधिकारी एन0यू0एच0एम0, अर्बन हेल्थ क्वार्डिनेटर तथा डी0सी0ए0ए0/सी0सीपी0एम0 की सर्वसम्मति से निम्न मानकों के आधार पर किया जायेगा।

सर्वश्रेष्ठ कार्य के मानक–

क्र0 सं0	गतिविधियाँ	आशाओं के निर्धारित क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर अंक प्रतिशत
1	आशा द्वारा अपने क्षेत्र में कराये गये उन संस्थागत प्रसवों की संख्या जिसमें उसे प्रति केस रू0 400/– प्राप्त हुआ हो।	
2	आशा के कार्यक्षेत्र में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या	
3	आशा के कार्यक्षेत्र मे आशा द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थायी गर्भ निरोधक(नसबंदी) तथा अन्तराल विधियो –Antara, PPIUCD हेतु प्रेरित करने पर। पुरुष नसबंदी कराने पर 5 प्रतिशत बोनस अंक।	
4	महिला आरोग्य समिति द्वारा की गई बैठको की संख्या जिसमें उसे प्रति मास रू0 150/– प्राप्त हुआ हो।	
5	उपर्युक्त मानकों के प्रतिशत का कुल योग	
	औसत प्रतिशत	

1. **आशा द्वारा क्षेत्र से संस्थागत प्रसव कराना**
   क– आशा द्वारा कराये गये संस्थागत प्रसव
   ख– आशा के क्षेत्र में सम्भावित प्रसव की संख्या (जनपद के जन्म दर के आधार पर)= जन्म दर *जनसंख्या/1000
   संस्थागत प्रसव प्रतिशत= क*100/ख
2. **आशा के कार्यक्षेत्र में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चे**
   क. कार्यक्षेत्र मे पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या
   ख. कुल 0–1 वर्ष तक के बच्चों की सम्भावित संख्या
   पूर्ण टीकाकरण प्रतिशत= क*100/ख
3. **स्थायी गर्भ निरोधक साघनों तथा अन्तराल विधियो के उपयोग हेतु प्रेरणा–**
   आशा द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में स्थायी गर्भ निरोधक साधन– महिला/पुरुष नसबंदी तथा अन्तराल विधियो – Antara, PPIUCD हेतु प्रेरित लाभर्थियों की संख्या*100/30।
   यदि आशा द्वारा एक भी पुरुष नसबंदी करायी गई है तो 5 प्रतिशत बोनस अंक जोड़े जायेगे।
4. **महिला आरोग्य समिति की नियमित बैठक कराना–** महिला आरोग्य समिति की मासिक बैठको की संख्या* 100 /12

उदाहरण– आशा राधा देवी, जनपद– पीलीभीत के पुराना अस्पताल नगरीय प्रथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत कार्यरत है। उनके कार्यक्षेत्र की आबादी 2000 हैं। पीलीभीत की जन्मदर 30 प्रति हजार है। राधा देवी द्वारा वर्ष 2020–21 में 35 संस्थागत प्रसवों हेतु प्रोत्साहन राशि 400 प्रति प्रसव प्राप्त की गई है। वर्ष 2020–21 में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या 37 है। राधा देवी द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 पुरूष व 3 महिलाओं को नसबंदी, 4 महिलाओ को PPIUCD, तथा 5 महिलाओ को अंतरा इंजेक्शन हेतु प्रेरित कर सुविधा प्रदान करायी गयी । वित्तीय वर्ष 2020–21 मे राधा देवी के कार्यक्षेत्र, मोहल्ला डालचंद, मे गठित महिला आरोग्य समिति की 9 मासिक बैठक हुई है।
राधा देवी के औसत प्रतिशत की गणना निम्न अनुसार की जायेगी–

1. कुल सम्भावित प्रसव– 30*2000/1000=60
   संस्थागत प्रसव–35
   प्रतिशत=(35*100)/60=58.33%
2. मोहल्ला डालचंद में कुल 0–1 वर्ष तक के बच्चों की सम्भावित संख्या–30*2000/1000=60
   पूर्ण टीकारण की उपलब्धि=37
   पूर्ण टीकारण की उपलब्धि का प्रतिशत–37*100/60=61.66%
3. परिवार नियोजन की उपलब्धि का प्रतिशत–(1345)*100/30=43.33%
   पुरुष नसबंदी कराने हेतु 5 प्रतिशत बोनस अंक जोडकर परिवार नियोजन प्रतिशत.
   43.335=48.33%
4. महिला आरोग्य समिति की बैठक आयोजन का प्रतिशत–9*100/12=75%
5. औसत प्रतिशत–(58.33+61.66+48.33+75)/4=60.83%

पुरुस्कार हेतु न्यूनतम अहर्ता 50 प्रतिशत औसत अंक होगी। अर्थात यदि किसी जनपद/क्लस्टर मे कोई भी शहरी आशा 50 प्रतिशत औसत अंक प्राप्त नही कर पाती है तो कोई पुरुस्कार नही दिया जायेगा।

पुरुस्कार चयन कमेटी द्वारा उपरोक्तानुसार औसत प्रतिशत के आधार पर प्रत्येक आशा क्लस्टर की सर्वश्रेष्ठ आशाओं का चयन कर विवरण सहित (संलग्नक ख) अपनी संस्तुति मुख्य चिकित्साधिकारी को दी जायेगी। जिसके द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में क्लस्टरवार सर्वश्रेष्ठ आशा के चयन पर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। शहरी आशाओं को सम्मेलन में आमंत्रित किया जाय

जनपद स्तर पर आयोजित आशा सम्मेलन में शहरी आशाओं को आमंत्रित किया जाये एवं उन्हे सम्मेलन के दौरान पुरस्कार वितरित किये जाये। प्रत्येक क्लस्टर की सर्वश्रेष्ठ आशाओ को प्रमाण–पत्र

एवं पुरुस्कार राशि पी0एफ0एम0एस0 द्वारा वितरित की जायेगी। । शहरी आशाओं को सम्मेलन स्थल तक आने जाने के लिए परिवहन भत्ता तथा जलपान/भोजन व्यवस्था हेतु अलग से धनराशि आवंटित नहीं की गयी है। परिवहन तथा जलपान/भोजन व्यवस्था का व्यय जनपद को आशा सम्मेलन हेतु आवंटित धनराशि से किया जायेगा। आशा सम्मेलन के संबंध में महानिदेशक परिवार कल्याण के पत्रांक –प0क0/08–प्रशि0/आ0यो0/दिशा–निर्देश /2020–21/7433–75 दिनांक 10.6.2020 के माध्यम से निर्देश निर्गत किये गये है।

7. **आशा डाटाबेस–** शहरी आशाओं का डाटाबेस जनपद स्तर पर तैयार किया जाना है। उक्त डाटाबेस में आशाओं के सम्बन्ध में विभिन्न जानकारी जैसे कार्यक्षेत्र आच्छादित आबादी, शैक्षिक योग्यता, एकाउण्ट नं0, आधार कार्ड नं0, मोबाइल नं0, प्रशिक्षण की स्थिति, आदि अंकित किये जाएंगे। उक्त डाटाबेस शहरी स्वास्थ्य समन्वयक/सी.सी.पी.एम. द्वारा अधुनान्त किया जाएगा।

8. **FMR U.12 Printing Activity**

FMR Code U.12.1 Printing activity- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आशाओं द्वारा किये गये कार्यों के अभिलेखीकरण हेतु शहरी आशाओं को शहरी स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका एवं आशा वाउचर उपलब्ध कराया जाना है।

- **शहरी स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका (UHIR)**– शहरी स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका के मुद्रण हेतु FMR Code U.12.1 के अन्तर्गत रू0 300/– प्रति आशा की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है। रजिस्टर के मुद्रण हेतु निम्न स्पेसिफिकेशन का प्रयोग किया जाना है–

क्र.सं.	विवरण	साइज	जी.एस.एम.	रंग	पृष्ठ
1	कवर पृष्ठ	28 से.मी.x 21 से.मी.	250 जी.एस.एम. आर्ट कार्ड	4 रंगो में	4
2	रजिस्टर के अन्दर के पृष्ठ–2 स्टेप्लड	28 से.मी.x 21 से.मी.	80 जी.एस.एम. मेपलिथो	1 रंग में	326 पेज

शहरी स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका के मुद्रण हेतु दिशा निर्देश पत्रांक SPMU/NUHM/IEC/2020-21/24/6709 दिनांक 29-01-2021 के माध्यम से प्रेषित किये गये हैं।

- **आशा प्रतिपूर्ति राशि हेतु आशा वाउचर हेतु दिशा–निर्देश** – आशाओं के भुगतान हेतु वाउचर उपलब्ध कराने एवं रख–रखाव हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् हैं–
  - आशाओं द्वारा किये गये कार्यों के लिए प्रदान की जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु वाउचर की बुकलेट छपवाकर प्रत्येक आशा को वितरित की जानी हैं। वाउचर का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है (संलग्नक–1 क और संलग्नक–1 ख)
  - प्रत्येक बुकलेट में वाउचर्स के दो प्रतियों (डुप्लीकेट कॉपी के 15 सेट अर्थात् 30 पन्ने) की बुकलेट तैयार की जानी है भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य कार्ययोजना वर्ष 2019–20 के FMR Code U.12.1 के अन्तर्गत इस हेतु अधिकतम रू0 25/– प्रति बुकलेट प्रति आशा के आधार पर छपवाने हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है। बुकलेट का मानक निम्नवत् होंगे–

क्र0सं0	उपयोग	जी0एस0एम0	लम्बाई X चौड़ाई
1	एन0यू0एच0एम0 फ्लैक्सीपूल मद की वाउचर बुकलेट	57	लम्बाई 26 से.मी. चौड़ाई 21 से.मी.

  - बुकलेट के प्रति वाउचर की दोनों प्रतियां 2 रंगों में छपवाई जाय। प्रथम पन्ना सफेद रंग का दूसरा पन्ना गुलाबी रंग का हो सकता है।
  - वर्तमान वित्तीय वर्ष के वाउचर शीघ्र अतिशीघ्र छपवाकर भुगतान हेतु प्रयोग में लायें जायें।
  - आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि की पूर्ण जानकारी हेतु जनपद स्तर पर आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर का रख–रखाव अनिवार्य है।

जनपदों को जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से निम्न फांट के अनुसार धनराशि आवंटित की जा रही है–

S.N	District	Name of City	Target of ASHA	U.3 Community Interventions			
				U.3.1.1.1 Incentives for Routine Activities	U.3.1.1.3 Other Incentive to ASHAs		U.3.1.3.1 Supportive provisions (uniform /awards etc)
				@ Rs. 2000/- per U-ASHA per month for 12 months for 8603 U-ASHAs	@ Rs 200/- pm per U-ASHA for 8603 U-ASHAs for 12 months for Health Promotion Day	@ Rs 100/ beneficiary for 120442 beneficiaries of PMMVY for 8603 ASHAs	@ Rs 600/- per ASHA per Urban ASHA uniform for 8603 Urban ASHA
1	Agra	Agra	625	15000000.00	1500000.00	875000.00	375000
2	Aligarh	Aligarh	412	9888000.00	988800.00	576800.00	247200
		Atrauli	28	672000.00	67200.00	39200.00	16800
3	Prayagraj	Prayagraj	390	9360000.00	936000.00	546000.00	234000
4	Ambedkarnagar	Ambedkarnagar	21	504000.00	50400.00	29400.00	12600
		Tanda including Jalalpur	39	936000.00	93600.00	54600.00	23400
5	Amethi	Amethi	4	96000.00	9600.00	5600.00	2400
6	Amroha (J.P Nagar)	Amroha	49	1176000.00	117600.00	68600.00	29400
		Hasanpur	24	576000.00	57600.00	33600.00	14400
		Gajraula	21	504000.00	50400.00	29400.00	12600
7	Auraiya	Auraiya	20	480000.00	48000.00	28000.00	12000
8	Azamgarh	Azamgarh	23	552000.00	55200.00	32200.00	13800
		Mubarakpur	16	384000.00	38400.00	22400.00	9600
9	Baghpat	Baghpat Baraut	20	480000.00	48000.00	28000.00	12000
		Baghpat	4	96000.00	9600.00	5600.00	2400
10	Bahraich	Bahraich	47	1128000.00	112800.00	65800.00	28200
11	Ballia	Ballia	44	1056000.00	105600.00	61600.00	26400
12	Balrampur	Balrampur	27	648000.00	64800.00	37800.00	16200
13	Banda	Banda	38	912000.00	91200.00	53200.00	22800
14	Barabanki	Nawabganj	17	408000.00	40800.00	23800.00	10200
15	Bareilly	Bareilly	237	5688000.00	568800.00	331800.00	142200
		Faridpur	17	408000.00	40800.00	23800.00	10200
		Baheri	34	816000.00	81600.00	47600.00	20400
		Aonla	13	312000.00	31200.00	18200.00	7800
16	Basti	Basti	54	1296000.00	129600.00	75600.00	32400
17	Bijnor	Nagina	13	312000.00	31200.00	18200.00	7800
		Bijnor	20	480000.00	48000.00	28000.00	12000
		Najibabad	8	192000.00	19200.00	11200.00	4800
		Chandpur	7	168000.00	16800.00	9800.00	4200
		Sherkot	6	144000.00	14400.00	8400.00	3600
		Kiratpur	8	192000.00	19200.00	11200.00	4800
		Seohara	8	192000.00	19200.00	11200.00	4800
		Dhampur	5	120000.00	12000.00	7000.00	3000
18	Budaun	Budaun	67	1608000.00	160800.00	93800.00	40200
		Sahaswan	11	264000.00	26400.00	15400.00	6600
		Ujhani	14	336000.00	33600.00	19600.00	8400
19	Bulandshahar	Bulandshahr	76	1824000.00	182400.00	106400.00	45600
		Khurja	49	1176000.00	117600.00	68600.00	29400
		Sikandrabad	22	528000.00	52800.00	30800.00	13200
		Jahangirabad	14	336000.00	33600.00	19600.00	8400
		Gulaothi	13	312000.00	31200.00	18200.00	7800
20	Chandauli	Mughalsarai	12	288000.00	28800.00	16800.00	7200
21	Chitrakoot	Chitrakoot	11	264000.00	26400.00	15400.00	6600
22	Deoria	Deoria	47	1128000.00	112800.00	65800.00	28200
23	Etah	Etah	37	888000.00	88800.00	51800.00	22200
24	Etawah	Etawah	111	2664000.00	266400.00	155400.00	66600
25	Ayodhya	Faizabad	35	840000.00	84000.00	49000.00	21000
		Ayodhya	30	720000.00	72000.00	42000.00	18000
26	Farrukhabad	Farrukhabad	91	2184000.00	218400.00	127400.00	54600
27	Fatehpur	Fatehpur	48	1152000.00	115200.00	67200.00	28800
28	Firozabad	Firozabad	230	5520000.00	552000.00	322000.00	138000
		Shikohabad	12	288000.00	28800.00	16800.00	7200
		Tundla	10	240000.00	24000.00	14000.00	6000
29	GB Nagar	Noida	105	2520000.00	252000.00	147000.00	63000
		Greater Noida	3	72000.00	7200.00	4200.00	1800
		Dadri	2	48000.00	4800.00	2800.00	1200
30	Ghaziabad	Ghaziabad	203	4872000.00	487200.00	284200.00	121800
		Loni	53	1272000.00	127200.00	74200.00	31800
		Khora	15	360000.00	36000.00	21000.00	9000
		Modinagar	11	264000.00	26400.00	15400.00	6600

S.N	District	Name of City	U.3 Community Interventions				
			Target of ASHA	U.3.1.1.1 Incentives for Routine Activities	U.3.1.1.3 Other Incentive to ASHAs		U.3.1.3.1 Supportive provisions (uniform /awards etc)
				@ Rs. 2000/- per U-ASHA per month for 12 months for 8603 U-ASHAs	@ Rs 200/- pm per U-ASHA for 8603 U-ASHAs for 12 months for Health Promotion Day	@ Rs 100/ beneficiary for 120442 beneficiaries of PMMVY for 8603 ASHAs	@ Rs 600/- per ASHA per Urban ASHA uniform for 8603 Urban ASHA
		Muradnagar	3	72000.00	7200.00	4200.00	1800
31	Ghazipur	Ghazipur	30	720000.00	72000.00	42000.00	18000
32	Gonda	Gonda	43	1032000.00	103200.00	60200.00	25800
33	Gorakhpur	Gorakhpur	338	8112000.00	811200.00	473200.00	202800
34	Hamirpur	Rath	27	648000.00	64800.00	37800.00	16200
35	Hapur	Hapur	47	1128000.00	112800.00	65800.00	28200
		Pilkhuwa	24	576000.00	57600.00	33600.00	14400
36	Hardoi	Hardoi	34	816000.00	81600.00	47600.00	20400
		Shahabad	10	240000.00	24000.00	14000.00	6000
		Sandila	10	240000.00	24000.00	14000.00	6000
37	Hathras	Hathras	39	936000.00	93600.00	54600.00	23400
38	Jalaun	Orai	27	648000.00	64800.00	37800.00	16200
		Jalaun	9	216000.00	21600.00	12600.00	5400
		Konch	8	192000.00	19200.00	11200.00	4800
		Kalpi	7	168000.00	16800.00	9800.00	4200
39	Jaunpur	Jaunpur	24	576000.00	57600.00	33600.00	14400
40	Jhansi	Jhansi	150	3600000.00	360000.00	210000.00	90000
		Mauranipur	16	384000.00	38400.00	22400.00	9600
41	Kannauj	Kannauj	8	192000.00	19200.00	11200.00	4800
		Chhibramau	6	144000.00	14400.00	8400.00	3600
42	Kanpur Dehat	Kanpur Dehat	8	192000.00	19200.00	11200.00	4800
43	Kanpur Nagar	Kanpur	457	10968000.00	1096800.00	639800.00	274200
44	Kasganj	Kasganj	31	744000.00	74400.00	43400.00	18600
45	Kaushambi	Manjhanpur	6	144000.00	14400.00	8400.00	3600
46	Kushinagar	Padrauna	12	288000.00	28800.00	16800.00	7200
47	Kheri	Lakhimpur	8	192000.00	19200.00	11200.00	4800
		Gola Gokaran Nath	1	24000.00	2400.00	1400.00	600
48	Lalitpur	Lalitpur	13	312000.00	31200.00	18200.00	7800
49	Lucknow	Lucknow	636	15264000.00	1526400.00	890400.00	381600
50	Maharajganj	Maharajganj	21	504000.00	50400.00	29400.00	12600
51	Mahoba	Mahoba	25	600000.00	60000.00	35000.00	15000
52	Mainpuri	Mainpuri	52	1248000.00	124800.00	72800.00	31200
53	Mathura	Mathura	154	3696000.00	369600.00	215600.00	92400
		Vrindavan	9	216000.00	21600.00	12600.00	5400
		Kosi Kalan	8	192000.00	19200.00	11200.00	4800
54	Mau	Maunath Bhanjan	64	1536000.00	153600.00	89600.00	38400
55	Meerut	Meerut	575	13800000.00	1380000.00	805000.00	345000
		Mawana	5	120000.00	12000.00	7000.00	3000
		Sardhana	8	192000.00	19200.00	11200.00	4800
56	Mirzapur	Mirzapur	32	768000.00	76800.00	44800.00	19200
57	Moradabad	Moradabad	230	5520000.00	552000.00	322000.00	138000
58	Muzaffarnagar	Muzaffarnagar	57	1368000.00	136800.00	79800.00	34200
		Khatauli	10	240000.00	24000.00	14000.00	6000
		Budhana	5	120000.00	12000.00	7000.00	3000
59	Pilibhit	Pilibhit	46	1104000.00	110400.00	64400.00	27600
		Bisalpur	8	192000.00	19200.00	11200.00	4800
60	Pratapgarh	Bela Pratapgarh	14	336000.00	33600.00	19600.00	8400
61	Rae Bareli	Rae Bareli	48	1152000.00	115200.00	67200.00	28800
62	Rampur	Rampur	82	1968000.00	196800.00	114800.00	49200
63	Saharanpur	Saharanpur	236	5664000.00	566400.00	330400.00	141600
		Deoband	23	552000.00	55200.00	32200.00	13800
		Gangoh	15	360000.00	36000.00	21000.00	9000
64	Sambhal	Chandausi	25	600000.00	60000.00	35000.00	15000
		Sambhal	33	792000.00	79200.00	46200.00	19800
65	Sant Kabir Nagar	Khalilabad	24	576000.00	57600.00	33600.00	14400
66	S R Nagar (Bhadohi)	Bhadohi	18	432000.00	43200.00	25200.00	10800
67	Shahjahanpur	Shahjahanpur	130	3120000.00	312000.00	182000.00	78000
		Tilhar	21	504000.00	50400.00	29400.00	12600
68	Shamli	Shamli	25	600000.00	60000.00	35000.00	15000
		Kairana	12	288000.00	28800.00	16800.00	7200
69	Shrawasti	Shrawasti	3	72000.00	7200.00	4200.00	1800
70	Sidharthnagar	Siddharthnagar	18	432000.00	43200.00	25200.00	10800
71	Sitapur	Sitapur	58	1392000.00	139200.00	81200.00	34800
		Laharpur	11	264000.00	26400.00	15400.00	6600
		Biswan	11	264000.00	26400.00	15400.00	6600
		Mahmudabad	11	264000.00	26400.00	15400.00	6600
72	Sonabhadra	Sonbhadra	16	384000.00	38400.00	22400.00	9600

S.N	District	Name of City	Target of ASHA	U.3 Community Interventions			
				U.3.1.1.1 Incentives for Routine Activities	U.3.1.1.3 Other Incentive to ASHAs		U.3.1.3.1 Supportive provisions (uniform /awards etc)
				@ Rs. 2000/- per U-ASHA per month for 12 months for 8603 U-ASHAs	@ Rs 200/- pm per U-ASHA for 8603 U-ASHAs for 12 months for Health Promotion Day	@ Rs 100/ beneficiary for 120442 beneficiaries of PMMVY for 8603 ASHAs	@ Rs 600/- per ASHA per Urban ASHA uniform for 8603 Urban ASHA
		Obra					
		Renukoot + Pipri					
73	Sultanpur	Sultanpur	52	1248000.00	124800.00	72800.00	31200
74	Unnao	Unnao	52	1248000.00	124800.00	72800.00	31200
		Gangaghat	18	432000.00	43200.00	25200.00	10800
75	Varanasi	Ramnagar					
		Varanasi	675	16200000.00	1620000.00	945000.00	405000
TOTAL			8603	206472000.00	20647200.00	12044200.00	5161800.00

S.No.	District	Name of City	U.3 Community Interventions					U.12 Printing
			U.3.1.3.1 Supportive provisions (uniform/ awards etc)					U.12.1 Printing Activities
			Target of ASHA	Award I @ Rs. 5000/-	Award II @ Rs. 2000/-	Award III @ Rs. 1000/-	Total Budget of Award (I + II + III)	Rs 325/-per U-ASHA for UHIR and Voucher
1	Agra	Agra	625	20000.00	8000.00	4000.00	32000.00	203125.00
2	Aligarh	Aligarh	412	10000.00	4000.00	2000.00	16000.00	133900.00
		Atrauli	28				0.00	9100.00
3	Prayagraj	Prayagraj	390	10000.00	4000.00	2000.00	16000.00	126750.00
4	Ambedkarnagar	Ambedkarnagar	21		2000.00	1000.00	3000.00	6825.00
		Tanda including Jalalpur	39				0.00	12675.00
5	Amethi	Amethi	4			1000.00	1000.00	1300.00
6	Amroha (J.P Nagar)	Amroha	49		2000.00	1000.00	3000.00	15925.00
		Hasanpur	24				0.00	7800.00
		Gajraula	21				0.00	6825.00
7	Auraiya	Auraiya	20			1000.00	1000.00	6500.00
8	Azamgarh	Azamgarh	23			1000.00	1000.00	7475.00
		Mubarakpur	16				0.00	5200.00
9	Baghpat	Baghpat Baraut	20			1000.00	1000.00	6500.00
		Baghpat	4				0.00	1300.00
10	Bahraich	Bahraich	47			1000.00	1000.00	15275.00
11	Ballia	Ballia	44			1000.00	1000.00	14300.00
12	Balrampur	Balrampur	27			1000.00	1000.00	8775.00
13	Banda	Banda	38			1000.00	1000.00	12350.00
14	Barabanki	Nawabganj	17			1000.00	1000.00	5525.00
15	Bareilly	Bareilly	237	10000.00	4000.00	2000.00	16000.00	77025.00
		Faridpur	17				0.00	5525.00
		Baheri	34				0.00	11050.00
		Aonla	13				0.00	4225.00
16	Basti	Basti	54		2000.00	1000.00	3000.00	17550.00
17	Bijnor	Nagina	13				0.00	4225.00
		Bijnor	20		2000.00	1000.00	3000.00	6500.00
		Najibabad	8				0.00	2600.00
		Chandpur	7				0.00	2275.00
		Sherkot	6				0.00	1950.00
		Kiratpur	8				0.00	2600.00
		Seohara	8				0.00	2600.00
		Dhampur	5				0.00	1625.00
18	Budaun	Budaun	67		2000.00	1000.00	3000.00	21775.00
		Sahaswan	11				0.00	3575.00
		Ujhani	14				0.00	4550.00
19	Bulandshahar	Bulandshahr	76	5000.00	2000.00	1000.00	8000.00	24700.00
		Khurja	49				0.00	15925.00
		Sikandrabad	22				0.00	7150.00
		Jahangirabad	14				0.00	4550.00
		Gulaothi	13				0.00	4225.00
20	Chandauli	Mughalsarai	12			1000.00	1000.00	3900.00
21	Chitrakoot	Chitrakoot	11			1000.00	1000.00	3575.00

S.No.	District	Name of City	U.3 Community Interventions					U.12 Printing
			U.3.1.3.1 Supportive provisions (uniform/ awards etc)					U.12.1 Printing Activities
			Target of ASHA	Award I @ Rs. 5000/-	Award II @ Rs. 2000/-	Award III @ Rs. 1000/-	Total Budget of Award (I + II + III)	Rs 325/-per U-ASHA for UHIR and Voucher
22	Deoria	Deoria	47			1000.00	1000.00	15275.00
23	Etah	Etah	37			1000.00	1000.00	12025.00
24	Etawah	Etawah	111	5000.00	2000.00	1000.00	8000.00	36075.00
25	Ayodhya	Faizabad	35		2000.00	1000.00	3000.00	11375.00
		Ayodhya	30				0.00	9750.00
26	Farrukhabad	Farrukhabad	91		2000.00	1000.00	3000.00	29575.00
27	Fatehpur	Fatehpur	48			1000.00	1000.00	15600.00
28	Firozabad	Firozabad	230	5000.00	2000.00	1000.00	8000.00	74750.00
		Shikohabad	12				0.00	3900.00
		Tundla	10				0.00	3250.00
29	GB Nagar	Noida	105	5000.00	2000.00	1000.00	8000.00	34125.00
		Greater Noida	3				0.00	975.00
		Dadri	2				0.00	650.00
30	Ghaziabad	Ghaziabad	203	5000.00	2000.00	1000.00	8000.00	65975.00
		Loni	53				0.00	17225.00
		Khora	15				0.00	4875.00
		Modinagar	11				0.00	3575.00
		Muradnagar	3				0.00	975.00
31	Ghazipur	Ghazipur	30			1000.00	1000.00	9750.00
32	Gonda	Gonda	43			1000.00	1000.00	13975.00
33	Gorakhpur	Gorakhpur	338	10000.00	4000.00	2000.00	16000.00	109850.00
34	Hamirpur	Rath	27			1000.00	1000.00	8775.00
35	Hapur	Hapur	47		2000.00	1000.00	3000.00	15275.00
		Pilkhuwa	24				0.00	7800.00
36	Hardoi	Hardoi	34		2000.00	1000.00	3000.00	11050.00
		Shahabad	10				0.00	3250.00
		Sandila	10				0.00	3250.00
37	Hathras	Hathras	39			1000.00	1000.00	12675.00
38	Jalaun	Orai	27				0.00	8775.00
		Jalaun	9		2000.00	1000.00	3000.00	2925.00
		Konch	8				0.00	2600.00
		Kalpi	7				0.00	2275.00
39	Jaunpur	Jaunpur	24			1000.00	1000.00	7800.00
40	Jhansi	Jhansi	150	5000.00	2000.00	1000.00	8000.00	48750.00
		Mauranipur	16				0.00	5200.00
41	Kannauj	Kannauj	8			1000.00	1000.00	2600.00
		Chhibramau	6				0.00	1950.00
42	Kanpur Dehat	Kanpur Dehat	8			1000.00	1000.00	2600.00
43	Kanpur Nagar	Kanpur	457	15000.00	6000.00	3000.00	24000.00	148525.00
44	Kasganj	Kasganj	31			1000.00	1000.00	10075.00
45	Kaushambi	Manjhanpur	6			1000.00	1000.00	1950.00
46	Kushinagar	Padrauna	12			1000.00	1000.00	3900.00
47	Kheri	Lakhimpur	8			1000.00	1000.00	2600.00
		Gola Gokaran Nath	1				0.00	325.00
48	Lalitpur	Lalitpur	13			1000.00	1000.00	4225.00
49	Lucknow	Lucknow	636	20000.00	8000.00	4000.00	32000.00	206700.00
50	Maharajganj	Maharajganj	21			1000.00	1000.00	6825.00
51	Mahoba	Mahoba	25			1000.00	1000.00	8125.00
52	Mainpuri	Mainpuri	52		2000.00	1000.00	3000.00	16900.00
53	Mathura	Mathura	154	5000.00	2000.00	1000.00	8000.00	50050.00
		Vrindavan	9				0.00	2925.00
		Kosi Kalan	8				0.00	2600.00
54	Mau	Maunath Bhanjan	64		2000.00	1000.00	3000.00	20800.00
55	Meerut	Meerut	575	15000.00	6000.00	3000.00	24000.00	186875.00
		Mawana	5				0.00	1625.00
		Sardhana	8				0.00	2600.00
56	Mirzapur	Mirzapur	32			1000.00	1000.00	10400.00
57	Moradabad	Moradabad	230	5000.00	2000.00	1000.00	8000.00	74750.00
58	Muzaffarnagar	Muzaffarnagar	57		2000.00	1000.00	3000.00	18525.00
		Khatauli	10				0.00	3250.00
		Budhana	5				0.00	1625.00

S.No.	District	Name of City	U.3 Community Interventions					U.12 Printing
			U.3.1.3.1 Supportive provisions (uniform/ awards etc)					U.12.1 Printing Activities
			Target of ASHA	Award I @ Rs. 5000/-	Award II @ Rs. 2000/-	Award III @ Rs. 1000/-	Total Budget of Award (I + II + III)	Rs 325/-per U-ASHA for UHIR and Voucher
59	Pilibhit	Pilibhit	46		2000.00	1000.00	3000.00	14950.00
		Bisalpur	8				0.00	2600.00
60	Pratapgarh	Bela Pratapgarh	14			1000.00	1000.00	4550.00
61	Rae Bareli	Rae Bareli	48			1000.00	1000.00	15600.00
62	Rampur	Rampur	82		2000.00	1000.00	3000.00	26650.00
63	Saharanpur	Saharanpur	236	5000.00	2000.00	1000.00	8000.00	76700.00
		Deoband	23				0.00	7475.00
		Gangoh	15				0.00	4875.00
64	Sambhal	Chandausi	25				0.00	8125.00
		Sambhal	33		2000.00	1000.00	3000.00	10725.00
65	Sant Kabir Nagar	Khalilabad	24			1000.00	1000.00	7800.00
66	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	Bhadohi	18			1000.00	1000.00	5850.00
67	Shahjahanpur	Shahjahanpur	130	5000.00	2000.00	1000.00	8000.00	42250.00
		Tilhar	21				0.00	6825.00
68	Shamli	Shamli	25			1000.00	1000.00	8125.00
		Kairana	12				0.00	3900.00
69	Shrawasti	Shrawasti	3			1000.00	1000.00	975.00
70	Sidharthnagar	Siddharthnagar	18			1000.00	1000.00	5850.00
71	Sitapur	Sitapur	58		2000.00	1000.00	3000.00	18850.00
		Laharpur	11				0.00	3575.00
		Biswan	11				0.00	3575.00
		Mahmudabad	11				0.00	3575.00
72	Sonabhadra	Sonbhadra	16			1000.00	1000.00	5200.00
		Obra						
		Renukoot + Pipri NP						
73	Sultanpur	Sultanpur	52		2000.00	1000.00	3000.00	16900.00
74	Unnao	Unnao	52		2000.00	1000.00	3000.00	16900.00
		Gangaghat	18				0.00	5850.00
75	Varanasi	Ramnagar						
		Varanasi	675	20000.00	8000.00	4000.00	32000.00	219375.00
TOTAL			8603	180000	110000	92000	382000	

9. **अनुश्रवण एव मूल्यांकन**

- जिला स्तर के अधिकारी द्वारा नियमित रूप से नगरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर उपलब्ध आशा प्रतिपूर्ति राशि से सम्बन्धित वाउचर्स एवं प्रपत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना है।
- राज्य स्तर के अधिकारिओं द्वारा भी समय–समय पर अपने पर्यवेक्षकीय भ्रमण के दौरान "आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर" एवं आशा प्रतिपूर्ति राशि से सम्बन्धित वाउचर्स एवं प्रपत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना है।

उपरोक्त गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि के उपयोग हेतु निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान दिया जाय–

1. विभिन्न गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान पी.एफ.एम.एस. पोर्टल द्वारा किया जाय। किसी भी दशा में किसी भी कर्मचारी को या सेवा प्रदाता को नगद भुगतान न किया जाय। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला मुख्यालय पर भुगतान किये गये समस्त बिल बाउचर सुरक्षित रखे जाय, जिससे कि ऑडिट या अन्य जॉच के समय प्रेषित किया जा सके।
2. ऑपरेशनल गाइडलाइन फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट के नियमों का अनुपालन किया जाये।
3. धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

4. उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम. एवं कार्यक्रम से संबन्धित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्तानुसार धनराशि उपयोगित करने के पश्चात भौतिक एवं वित्तीय आख्या एस0पी0एम0यू0 के एन.यू.एच.एम. अनुभाग, अरबन हेल्थ सेल, परिवार कल्याण महानिदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

पत्रांकः SPMU/NUHM/Guideline/2020-21/47/ तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. महाप्रबंधक, एम0आई0एस0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त दिशा–निर्देशों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. संयुक्त निदेशक, नगरीय, परिवार कल्याण, प0क0 महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक/शहरी स्वास्थ्य समन्वयक, उत्तर प्रदेश।

(डा0 राजेश झा)
महाप्रबन्धक, एन0यू0एच0एम0

संलग्नक क

आशा को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु प्रपत्र–1

नगरीय प्राथ0 स्वा0 केन्द्र का नाम ....

आशा का नाम ....आशा आई0डी0नं0............................स्लम का नाम .... माह .... जमा करने की तिथि ....

बैंक का नाम .... खाता संख्या .... IFS कोड ....

क्र0सं0	कार्यक्रम	गतिविधियाँ	प्रतिपूर्ति राशि (रूपये में)	माह में किया गया कार्य (संख्या लिखे)	माह में कुल अनुमन्य राशि (रू.में)	पिछले माह में शेष भुगतान का विवरण	कुल अनुमन्य राशि (5+6)	भुगतान का विवरण
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	एडीशनालिटीज मद (नियमित गतिविधियों)	शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने एवं उपस्थित रहने	200					
2		महिला आरोग्य समिति की बैठक में प्रतिभाग करने	150					
3		शहरी आशाओं को सी.एच.सी./पी.एच.सी. पर मासिक बैठक में भाग लेने हेतु यात्रा–व्यय	150					
4		वार्ड सर्वे को अद्यतन करना	300					
5		शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर का अद्यतन करने व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण हेतु सहायता करने पर	300					
6		टीकाकरण हेतु बच्चों का डयू लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	300					
7		ANC लाभार्थियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	300					
8		योग्य दम्पत्तियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	300					
9	मातृ स्वास्थ्य	प्रसव पूर्व देखभाल हेतु	200					
10		संस्थागत प्रसव में सहायता	200					
11		अति जोखिम गर्भवती महिला का उच्चस्तरीय केन्द्र पर परीक्षण,भर्ती और संस्थागत प्रसव करानें के साथ MCTS/ RCH पोर्टल पर Entry करानें पर (प्रति केस)	300					
12	परिवार कल्याण	महिला नसबन्दी (मात्र 18 गैर मिशन परिवार विकास जनपदों में)	200					
13		पुरूष नसबन्दी (मात्र 18 गैर मिशन परिवार विकास जनपदों में)	300					
14		महिला नसबन्दी मात्र **57 जिलों में**	300					
15		पुरूष नसबन्दी **मात्र 57 जिलों में**	400					
16		प्रसव पश्चात महिला नसबन्दी **मात्र 57 जिलों में**	400					
17		प्रसव पश्चात महिला नसबन्दी (मात्र 18 गैर मिशन परिवार विकास जनपदों में)	300					
18		दो बच्चों के पश्चात् स्थायी गर्भनिरोधक साधन हेतु प्रेरित करने पर	1000					
19		शादी के पश्चात् 2 साल तक प्रथम बच्चे हेतु अन्तराल रखने हेतु प्रेरित करने पर	500					
20		प्रथम बच्चे से द्वितीय बच्चे के मध्य 3 साल का अन्तराल रखने हेतु प्रेरित करने पर	500					
21		लाभार्थी को **PPIUCD** लगवाने हेतु स्वास्थ्य इकाई पर ले जानें/सहयोग करनें पर	150					
22		लाभार्थी को **शगुन किट** वितरण करनें के सम्बन्ध में प्रति किट	100					
23		लाभर्थी को स्वास्थ्य इकाई पर ले जानें एवं त्रैमासिक गर्भनिरोधक इनजक्शन (अन्तरा) लगवानें हेतु प्रति लाभार्थी रू0 100 **मात्र 57 जिलों में**	100					
24		client को **PAIUCD** लगवाने हेतु स्वास्थ्य इकाई पर ले जानें/सहयोग करनें पर	150					
25		महिला को चिकित्सालय तक ले जाकर सर्जिकल विधि से गर्भपात सेवाओं को सुनिश्चित करानें पर (प्रति केस)	150					
26		महिला को चिकित्सालय तक ले जाकर मेडिकल विधि से गर्भपात सेवाओं के उपरान्त तीन बार फॉलोअप करना (प्रति केस)	225					
27	बाल स्वास्थ्य	गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (HBNC) के अन्तर्गत आशा को 24 घंटे के भीतर प्रथम भ्रमण, 3 और 7 दिन के भ्रमण करने पर प्रति लाभार्थी हेतु	150					
28		गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (HBNC) के अन्तर्गत आशा को शेष भ्रमण 14, 21, 28 एवं 42 दिन पूरा करने पर प्रति लाभार्थी हेतु	100					
29		AMB कार्यक्रम मे आशा द्वारा 6 माह से 59 माह तक के बच्चों को 50 M.L बॉटल auto dispenser के आयरन सीरप का वितरण हेतु प्रति माह	50					
30		गर्भवती व धात्री महिलाओ की मासिक बैठक करने के उपरान्त त्रैमासिक आधार पर दी जाने वाली धनराशि (MAA)	100					
31	टीकाकरण	0–1 वर्ष के बच्चों का पूर्ण प्रतिरक्षीकरण हेतु (प्रति बच्चा)	100					
32		1–2 वर्ष के बच्चों का पूर्ण प्रतिरक्षीकरण हेतु (प्रति बच्चा)	75					
33		5–6 वर्ष की आयु तक (डी.पी.टी.बूस्टर–2) प्रतिरक्षण हेतु प्रति बच्चा	50					
34		टीकाकरण के लिए बच्चों को प्रेरित करनें हेतु (प्रति सत्र)	150					
35	PMMVY	गर्भवती महिला का पंजीकरण कराने के पश्चात् दी जानें वाली धनराशि **प्रति केस**	50					
36		गभवती महिला का प्रपत्र 1 सी भरकर प्रस्तुत करने के पश्चात् **प्रति केस**	50					
37	HPD	हेल्थ प्रमोशन दिवस	200					
38	अन्य							
39	अन्य							

आशा के हस्ताक्षर

एएनएम द्वारा सत्यापन

हस्ताक्षर
डी0ईओ कम एकाउन्टेन्ट/डी0सी0ए0ए

हस्ताक्षर
सी0सी0पी0एम0

हस्ताक्षर
प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

वर्ष– 2021–22

आशाओं को विभिन्न मदों में किये जाने वाले प्रतिपूर्ति राशि भुगतान का नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय रिर्पोटिंग प्रपत्र

नगरीय प्रा0 स्वा0 केन्द्र का नाम –

माह –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			मातृ स्वास्थ्य			परिवार कल्याण								
			जे0एस0वाई		HRP									
क्र0स0	आशा का नाम	आशा का आई0डी0 नम्बर	प्रसव पूर्व देखभाल हेतु	संस्थागत प्रसव में सहायता	अति जोखिम गर्भवती महिला का उच्चस्तरीय केन्द्र पर परीक्षण,भर्ती और संस्थागत प्रसव कराने के साथ MCTS/ RCH पोर्टल पर Entry कराने पर (प्रति केस)	महिला नसबन्दी (मात्र 18 गैर मिशन परिवार विकास जनपदों में)	पुरूष नसबन्दी (मात्र 18 गैर मिशन परिवार विकास जनपदों में)	महिला नसबन्दी मात्र 57 जिलों में	पुरूष नसबन्दी मात्र 57 जिलों में	प्रसव पश्चात महिला नसबन्दी मात्र 57 जिलों में	प्रसव पश्चात महिला नसबन्दी (मात्र 18 गैर मिशन परिवार विकास जनपदों में)	दो बच्चों के पश्चात् स्थायी गर्भनिरोधक साधन हेतु प्रेरित करने पर	शादी के पश्चात् 2 साल तक प्रथम बच्चे हेतु अन्तराल रखने हेतु प्रेरित करने पर	प्रथम बच्चे से द्वितीय बच्चे के मध्य 3 साल का अन्तराल रखने हेतु प्रेरित करने पर
मद की धनराशि			200	200	300	200	300	300	400	400	300	1000	500	500
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														

1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	परिवार कल्याण						टीकाकरण कार्यक्रम					बाल स्वास्थ्य			
क्र0स0	PPIUCD	client को PAIUCD लगवाने हेतु	लाभार्थी को शगुन किट वितरण करने के सम्बन्ध में प्रति किट	महिला को चिकित्सालय तक ले जाकर सर्जिकल विधि से गर्भपात सेवाओं को सुनिश्चित कराने पर (प्रति केस)	महिला को चिकित्सालय तक ले जाकर मेडिकल विधि से गर्भपात सेवाओं के उपरान्त तीन बार फॉलोअप करना (प्रति केस)	लाभार्थी को स्वास्थ्य इकाई पर ले जाने एव त्रैमासिक गर्भनिरोधक इनजेक्शन अन्तरा लगवाने हेतु (प्रति डोज) मात्र 57 जिलों में	पल्स पोलियो कार्यक्रम हेतु प्रतिदिन 100 से 150 बच्चों को मोबलाइज करने पर (75+ 25)	पूर्ण प्रतिरक्षण (0–1)	पूर्ण प्रतिरक्षण (1–2)	5–6 वर्ष की आयु तक (डी.पी.टी.बूस्टर–2) प्रतिरक्षण हेतु प्रति बच्चा	टीकाकरण के लिए बच्चों को प्रेरित करने हेतु (प्रति सत्र)	SAM बच्चों को NRC में सन्दर्भन करने पर प्रति बच्चा	SAM बच्चों को NRC से छुट्टी होने के पश्चात 4 फॉलोअप करने पर	गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (HBNC) के अन्तर्गत आशा को 24 घंटे के भीतर प्रथम भ्रमण, 3 और 7 दिन के भ्रमण करने पर प्रति लाभार्थी हेतु	गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (HBNC) के अन्तर्गत आशा को शेष भ्रमण 14, 21, 28 एवं 42 दिन पूरा करने पर प्रति लाभार्थी हेतु
मद की धनराशि	150	150	100	150	225	100	100	100	75	50	150	50	100	150	100
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															

1	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	बाल स्वास्थ्य		NTEP		मलेरिया			कुष्ठ रोग						NIDDCP	कालाजार
								PB		MB					
क्र0स0	AMB कार्यक्रम में आशा द्वारा 6 माह से 59 माह तक के बच्चों को 50 M.L बॉटल auto dispenser के आयरन सीरप का वितरण हेतु प्रति माह	गर्भवती व धात्री महिलाओं की मासिक बैठक करने के उपरान्त त्रैमासिक आधार पर दी जाने वाली धनराशि (MAA)	ट्रीटमेंट सपोर्टर (डाट्स प्रोवाइडर) (नये रोगी 6–7 माह का कोर्स)	रोगी प्रतिरोधी (MDR-TB) रोगियों का इलाज और सहयोग प्रदान करने वाले समुदाय डॉट प्रदाता के लिए प्रोत्साहन राशि	रक्त पट्टिका बनाना	पी0एफ0 पॉजिटिव	पी0वी0 पॉजिटिव	कुष्ठ रोग की पहचान	उपचार के उपरान्त फालोअप	कुष्ठ रोग की पहचान	उपचार के उपरान्त फालोअप	कुष्ठ रोगी के साथ deformity के नये रोगी की पहचान(प्रति केस)	कुष्ठ रोग के संवेदीकरण में आशाओं की सहभागिता हेतु	50 घरों के नमक परीक्षण हेतु	कालाजार रोगी का सन्दर्भन एव उपचार किये जाने के उपरान्त 500 की धनराशि दिये जाना (प्रति केस) मात्र 11 जनपदों
मद की धनराशि	50	100	1000	5000	15	75		250	400	250	600	200	100	25	500
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															

1	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
	कालाजार	इन्सेफलाइटिस	HPD	PMMVY		एडीशनालिटीज मद (नियमित गतिविधियो हेतु)									
क्र0स0	कालाजार हेतु (IRS) 2 राउन्ड में छिड़काव (प्रति राउन्ड रू0 100)	ए0ई0एस0/जे0ई0केस का नजदीकी सामु0 स्वा0 केन्द्र/जिला अस्पताल मेडिकल कालेज में सन्दर्भन के लिए	हेल्थ प्रमोशन दिवस (प्रति माह)	गर्भवती महिला का पंजीकरण कराने के पश्चात् दी जाने वाली धनराशि प्रति केस	गर्भवती महिला का प्रपत्र 1 सी भरकर प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रति केस	UHND लाभार्थियों को प्रेरित एव उपस्थित रहने	MAS बैठक के आयोजन में सहयोग	मासिक समीक्षा बैठक हेतु	परिवारों की सूची व 6 माह के पश्चात अद्यतन	UHIR अद्यतन व जन्म एव मृत्यु पंजीकरण	टीकाकरण हेतु बच्चों का ड्यू लिस्ट बनाना	ANC लाभार्थियों की सूची बनाना	योग्य दम्पत्तियों का सूची बनाना	माह के अन्त मे कुल भुगतान	क्रमिक भुगतान की गई राशि
मद की धनराशि	200	300	200	50	50	200	150	150	300	300	300	300	300		
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

वर्ष– 2021–22 माह ....

आशाओं को विभिन्न मदों में किये जाने वाले भुगतान हेतु रिर्पोटिंग प्रपत्र

जनपद का नाम –

क्र०सं०				मातृ स्वास्थ्य				परिवार कल्याण																						नियमित टीकाकरण										HPD		PMMVY				NTEP				मलेरिया						कुष्ठ रोग												इंसेफ्लाईटिस		NIDD		कालाजार				बाल स्वास्थ्य													
																																																								MB				PB																															
	मद			जे०एस०वाई		HRP		महिला नसबन्दी		पुरूष नसबन्दी		PPIUCD		PAIUCD		3 साल का अन्तराल हेतु		दो बच्चों के पश्चात् स्थायी गर्भनिरोधक		शादी के पश्चात् 2 साल तक अन्तराल		अन्तरा लगवानें हेतु		महिला को चिकित्सालय तक ले जाकर सर्जिकल विधि से गर्भपात सेवाओं को सुनिश्चित करानें पर (प्रति केस)		महिला को चिकित्सालय तक ले जाकर मेडिकल विधि से गर्भपात सेवाओं के उपरान्त तीन बार फॉलोअप करना (प्रति केस)		लाभार्थी को शगुन किट वितरण करने के सम्बन्ध में प्रति किट		पल्स पोलियो कार्यक्रम		पूर्ण प्रतिरक्षण (0–1)		पूर्ण प्रतिरक्षण (1–2)		5–6 वर्ष की आयु तक (डी.पी.टी. बूस्टर–2) प्रतिरक्षण हेतु प्रति बच्चा		टीकाकरण के लिए बच्चों को प्रेरित करनें हेतु (प्रति सत्र)		हैल्थ प्रमोशन दिवस		गर्भवती महिला का पंजीकरण कराने के पश्चात् दी जाने वाली धनराशि प्रति केस		गर्भवती महिला का प्रपत्र 1 सी भरकर प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रति केस		ट्रीटमेंट सर्पोटर (डाट्स प्रोवाइडर) (नये रोगी)		रोगी प्रतिरोधी (MDR-TB) रोगियों का इलाज और सहयोग प्रदान करने वाले समुदाय डॉट प्रदाता के लिए प्रोत्साहन राशि		रक्त पट्टिका बनाना		पी०एफ० पॉजिटिव		पी०वी० पॉजिटिव		कुष्ठ रोग की पहचान		उपचार के उपरान्त फालोअप		कुष्ठ रोग की पहचान		उपचार के उपरान्त फालोअप		कुष्ठ रोग के संवेदीकरण में आशाओं की सहभागिता हेतु		कुष्ठ रोगी के साथ deformity के नये रोगी की पहचान हेतु		ए०ई०एस०/जे०ई०के० का नजदीकी सामु० स्वा० केन्द्र/जिला अस्पताल मेडिकल कालेज में सन्दर्भन के लिए		50 घरों के नमक परीक्षण हेतु		कालाजार रोगी का सन्दर्भन एवं उपचार किये जानें के उपरान्त 500 की धनराशि दिये जाना (प्रति केस)		कालाजार हेतु (IRS) छिड़काव		SAM बच्चों को NRC में सन्दर्भन करनें पर		SAM बच्चों को NRC से छुटटी होनें के पश्चात 4 फॉलोअप करनें पर		गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (HBNC) के अन्तर्गत आशा को 24 घंटे के भीतर प्रथम भ्रमण, 3 और 7 दिन के भ्रमण करने पर प्रति लाभार्थी हेतु		गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (HBNC) के अन्तर्गत आशा को शेष भ्रमण 14, 21, 28 एवं 42 दिन पूरा करने पर प्रति लाभार्थी हेतु		AMB कार्यक्रम में आशा द्वारा 6 माह से 59 माह तक के बच्चों को 50 M.L. बॉटल auto dispenser के आयरन सीरप का वितरण हेतु प्रति माह		गर्भवती व धात्री महिलाओं की मासिक बैठक करने के उपरान्त त्रैमासिक आधार पर दी जाने वाली धनराशि (MAA)		एडिशनालिटी मद (नियमित गतिविधियों हेतु)	
	यू०पी०एच०सी० का नाम	कार्यरत आशा की संख्या	आशाओं द्वारा जमा किये गये वाउचर की संख्या	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि
कुल योग																																																																																												

प्रपत्र–4

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

वर्ष – 2021–22

आशाओं को विभिन्न मदों में किये जाने वाले भुगतान का जनपद स्तरीय मासिक रिर्पोटिंग प्रपत्र

जनपद का नाम –

माह –

क0स0	मद			मातृ स्वास्थ्य				परिवार कल्याण																				नियमित टीकाकरण										HPD		NTEP				मलेरिया						कुष्ठ रोग														इसेफलाईटस		NIDDCP		कालाजार				PMMVY				बाल स्वास्थ्य													
																																																		MB				PB																																		
				जे0एस0वाई		HRP		महिला नसबन्दी		पुरुष नसबन्दी		PPIUCD		PAIUCD		3 साल का अन्तराल हेतु		दो बच्चो के पश्चात् स्थायी गर्भनिरोधक		शादी के पश्चात् 2 साल तक अन्तराल		अन्तरा लगवाने हेतु		महिला को चिकित्सालय तक ले जाकर सर्जिकल विधि से गर्भपात सेवाओं को सुनिश्चित कराने पर (प्रति केस)		महिला को चिकित्सालय तक ले जाकर मेडिकल विधि से गर्भपात सेवाओं के उपरान्त तीन बार फॉलोअप करना (प्रति केस)		पल्स पोलियो कार्यक्रम		पूर्ण प्रतिरक्षण (0–1)		पूर्ण प्रतिरक्षण (1–2)		5–6 वर्ष की आयु तक (डी पी टी बूस्टर–2) प्रतिरक्षण हेतु प्रति बच्चा		टीकाकरण के लिए बच्चों को प्रेरित करने हेतु (प्रति सत्र)		हेल्थ प्रमोशन दिवस		ट्रीटमेंट सपोर्टर (डाट्स प्रोवाइडर) (नये रोगी)		रोगी प्रतिरोधी (MDR-TB) रोगियों का इलाज और सहयोग प्रदान करने वाले समुदाय डॉट प्रदाता के लिए प्रोत्साहन राशि		रक्त पट्टिका बनाना		पी0एफ0 पॉजिटिव		पी0वी0 पॉजिटिव		कुष्ठ रोग की पहचान		उपचार के उपरान्त फालोअप		कुष्ठ रोग की पहचान		उपचार के उपरान्त फालोअप		कुष्ठ रोग के सवेदीकरण में आशाओं की सहभागिता हेतु		कुष्ठ रोगी के साथ कमवितउपजल के नये रोगी की पहचान हेतु		ए0ई0एस0/जे0ई0केस का नजदीकी सामु0 स्वा0 केन्द्र/जिला अस्पताल मेडिकल कालेज में सन्दर्भन के लिए		ए0ई0एस0/जे0ई0केस का नजदीकी सामु0 स्वा0 केन्द्र/जिला अस्पताल मेडिकल कालेज में सन्दर्भन के लिए		50 घरों के नमक परीक्षण हेतु		कालाजार रोगी का सन्दर्भन एवं उपचार किये जाने के उपरान्त 500 की धनराशि दिये जाना (प्रति केस)		कालाजार हेतु (IRS) छिड़काव		गर्भवती महिला का पंजीकरण कराने के पश्चात् दी जाने वाली धनराशि प्रति केस		गर्भवती महिला का प्रपत्र 1 सी भरकर प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रति केस		SAM बच्चों को NRC में सन्दर्भन करने पर प्रति बच्चा		SAM बच्चों को NRC से छुटटी होने के पश्चात 4 फॉलोअप करने पर प्रति बच्चा		गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (HBNC) के अन्तर्गत आशा को 24 घंटे के भीतर प्रथम भ्रमण, 3 और 7 दिन के भ्रमण करने पर प्रति लाभार्थी हेतु		गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (HBNC) के अन्तर्गत आशा को शेष भ्रमण 14, 21, 28 एवं 42 दिन पूरा करने पर प्रति लाभार्थी हेतु		AMB कार्यक्रम में आशा द्वारा 6 माह से 59 माह तक के बच्चों को 50 M.L बॉटल auto dispenser के आयरन सीरप का वितरण हेतु प्रति माह		गर्भवती व धात्री महिलाओं की मासिक बैठक करने के उपरान्त त्रैमासिक आधार पर दी जाने वाली धनराशि		एडिशनालिटी मद (नियमित गतिविधियों हेतु)	
	यू0पी0एच0सी0 का नाम	कार्यरत आशाओं की संख्या	आशाओं द्वारा जमा किये गये वाउचर की संख्या	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	#	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		47	48		49	#	51	52	53	#	#	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	#	79	80	#	82	83	84	85	86	#	88
1																																																																																										
2																																																																																											
3																																																																																											
4																																																																																												
5																																																																																											
6																																																																																											
7																																																																																											
8																																																																																											
9																																																																																											
10																																																																																											
कुल योग																																																																																											

4. उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम. एवं कार्यक्रम से संबन्धित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्तानुसार धनराशि उपयोगित करने के पश्चात भौतिक एवं वित्तीय आख्या एस0पी0एम0यू0 के एन.यू.एच.एम. अनुभाग, अरबन हेल्थ सेल, परिवार कल्याण महानिदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

पत्रांकः SPMU/NUHM/Guideline/2020-21/47/ 2681-75(10) तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. महाप्रबंधक, एम0आई0एस0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त दिशा–निर्देशों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. संयुक्त निदेशक, नगरीय, परिवार कल्याण, प0क0 महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक/शहरी स्वास्थ्य समन्वयक, उत्तर प्रदेश।

(डा0 राजेश झा)
महाप्रबन्धक, एन0यू0एच0एम0